ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान केंद्रीय, सम और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के लिए दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली – 110002
वेबसाइट : www.ugc.ac.in

ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान केंद्रीय, सम– और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

(16 विलयित योजनाएँ सामिल हैं)

1. यात्रा अनुदान
2. सम्मेलन / संगोष्ठियाँ / कार्यशालाएँ / परिसंवाद / अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. प्रकाशन अनुदान
4. अतिथि प्रोफ़ेसरों / अध्येताओं की नियुक्ति
5. दिवस देखभाल केंद्र
6. जोखिम खेल और खेलों के लिए आधारिक संरचना तथा उपस्कर का विकास
7. पिछड़े / ग्रामीण / दूरस्थ / सीमांत क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान
8. युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए पुनरुद्धार अनुदान
9. यंत्र रखरखाव सुविधा (आईएमएफ़)
10. महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए विशेष योजना
11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ
12. फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम (एफआईपी) (एम.फिल / पीएच.डी करने के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति)
13. समान अवसर कोष्ठ
14. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–संपन्न वर्ग) / अल्प–संख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ
15. विश्वविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ की स्थापना
16. भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

''ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्रीय, सम– और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के लिए दिशानिर्देश''

ग्यारहवीं योजना ऐसे समय में शुरू की जा रही है जब देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति पर आधारित परिवर्तनों के कारण व्यापक आर्थिक एवं प्रौद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रामीण और पिछड़े वर्गों का विकास सुनिश्चित करते हुए। परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए अधुनातन ज्ञान तथा कुशलताओं से युक्त शिक्षित मानव संसाधन की अधिक माँग होगी। फिर इससे विश्वविद्यालयों और कालेजों पर दबाव पड़ेगा कि वे शिक्षा की गुणता और प्रासंगिता सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराएँ। सूचना प्रौद्योगिकी इस परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान कर रही है और शिक्षा प्रणाली की संरचना, प्रबंधन तथा विधि पर उसका प्रमुख प्रभाव होगा।

1. परिचय

1.1 ग्यारहवीं योजना में पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को अधिक समर्थन देकर शहरी / ग्रामीण और विकसित / अल्पविकसित क्षेत्रों के बीच असमानता कम करने पर अधिक ज़ोर दिया गया है। परंतु, इस समर्थन के साथ जरूरी है कि उपलब्ध संसाधनों का एक सुनियोजित विधि से सही उपयोग किया जाए और जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थित है वहाँ की समाजीय आवश्यकताओं के अनुसार नए विभाग खोल कर संसाधनों के सहकारी प्रयोग को अधिकतम किया जाए। उच्च शिक्षा को समावेशी बनाने के उद्देश्य से महिलाओं, अजा / अजजा, अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समूहों जैसे सीमांत समूहों के लिए पहुँच तथा समदृष्टि बढ़ाने की भी जरूरत है।

1.2 अधिकतर विश्वविद्यालयों के पास, यद्यपि वे अपने विकास में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, न तो विश्वसनीय सूचना आधार है और न ही विश्लेषण के लिए कोई तंत्र। अनेक विश्वविद्यालयों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया बनाने के लिए जानकारी का अभाव है। अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अधिक सार्थक विधि से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करने को अधिक महत्त्व दें ताकि एक कुशल एवं प्रभावी शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित हो सके जो छात्रों तथा देश के विकास के लिए उनकी जरूरतों के अनुकूल हो।

1. उद्देश्य

विकास सहायता योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में आधारिक संरचना तथा मूल सुविधाओं में सुधार करना है ताकि कम से कम आधार स्तर प्राप्त करने और गुणता बढ़ाने में मदद मिल सके।

2. **पात्रता / लक्ष्य**

यू.जी.सी.सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, पहचाने गए समविश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता उपलब्ध कराता है जो यू.जी.सी.अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल हैं, यू.जी.सी.द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के ढाँचे और मोटे खर्च के भीतर।

3. **सहायता का स्वरूप**

सामान्य विकास अनुदान

यू.जी.सी.ने निर्णय लिया है कि अलग–अलग विश्वविद्यालयों को सामान्य योजना विकास अनुदान ग्यारहवीं योजना के दौरान तय किए गए और विश्वविद्यालयों को सूचित किए गए खर्चों के आधार पर दिया जाएगा।

तय किए गए और विश्वविद्यालयों को सूचित किए गए खर्चें 1.4.2007 से 31.3.2012 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे। योजना अवधि के साथ, अर्थात् 31.3.2012 को यह स्कीम समाप्त हो जाएगी।

विकास सहायता का उपयोग किया जा सकता है : वर्तमान आधारित संरचना के दृढ़ीकरण के लिए और अध्यापन, अनुसंधान तथा प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए और विश्वविद्यालयों की बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने हेतु विस्तार तथा क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों के लिए भी और समाज की माँगों पर उपयुक्त अनुक्रिया के लिए।

सामान्य योजना विकास सहायता के अंतर्गत यू.जी.सी.हर पात्र विश्वविद्यालय को समग्र विकास के लिए सहायता देगा जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

i पहुँच को बढ़ाना

ii समदृष्टि सुनिश्चित करना

iii प्रासंगिक शिक्षा देना

iv गुणता और उत्कृष्टता में सुधार करना

v विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना

vi फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रमों के लिए प्रावधान करना

vii छात्रों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना

viii अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाना

ix विश्वविद्यालय की कोई अन्य योजनाएँ

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत यू.जी.सी.द्वारा, विश्वविद्यालय की आधारिक संरचना, स्टाफ़, उपस्कर, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, पुस्तकालय आदि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जा सकती है :

i आधारिक संरचना : भवन :

वित्तीय सहायता नए भवनों के निर्माण के लिए और पुराने भवनों की बड़ी मरम्मत / नवीकरण के लिए होती है। भवन हो सकते हैं शैक्षिक भवन, पुस्तकालय, प्रशासनिक ब्लॉक, स्टाफ़ क्वार्टर, पुरुषों के छात्रावास, अतिथि गृह आदि। (महिलाओं के छात्रावास के लिए एक अलग विशेष योजना उपलब्ध है जो ग्यारहवीं योजना सामान्य विकास अनुदान के साथ विलयित संलग्न योजनाओं की सूची में है, अतः महिलाओं के छात्रावास के लिए सहायता सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत शामिल नहीं है।)

ii परिसर विकास :

परिसर विकास – सड़कों के निर्माण, विद्युत, जल की व्यवस्था, मलजल लाइनें बिछाने /नवीकरण करने, वृक्षारोपण और भूमि विकास आदि के लिए।

iii स्टाफ़ :

इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल शिक्षक, शिक्षकेतर और तकनीकी स्टाफ़ नियुक्त करने के लिए है जो लेक्चरर तथा समतुल्य वेतन मान से ऊपर हों। जहाँ तक यू.जी.सी.से 100 प्रतिशत आधार पर निधि–प्राप्त केंद्रीय / सम–विश्वविद्यालयों का संबंध है, शिक्षकेतर स्टाफ़ का सृजन केवल उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए किया जा सकता हे जो दसवीं योजना के दौरान तथा उसके बाद बने हों।

iv केंद्रीय पुस्तकालय :

ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए निधि दी जा सकती है।

v उपस्कर :

प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर, विशेष कार्यालय उपस्कर (फर्निचर, फिक्सचर तथा कंप्यूटरों को छोड़कर) और आधुनिक शिक्षण साधन यथा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

vi अभिनव अनुसंधान गतिविधियाँ :

ऐसी नियोजित अतिरिक्त अनुसंधान गतिविधियों के लिए निधि दी जा सकती है जो बड़ी तथा छोटी अनुसंधान परियोजनाओं और विशष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के अंतर्गत न आती हों (कोई भी अनोखा अभिनव अनुसंधान), जिसे विश्वविद्यालय शुरू करना चाहे और जो यू.जी.सी.की ग्यारहवीं योजना की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत न आती हों।

vii नई विस्तार गतिविधियाँ और आउटरीच कार्यक्रम :

नई विस्तार गतिविधियाँ और आउटरीच कार्यक्रम जिनके लिए विश्वविद्यालय को निधि की आवश्यकता हो।

viii विश्वविद्यालय की आईसीटी अपेक्षाएँ :

सूचना संचार और प्रौद्योगिक (आईसीटी) अपेक्षाएँ, यदि कोई हों।

ix स्वास्थ्य केंद्र :

यह डिस्पेंसरी के रूप में हो सकता है। आधारभूत सुविधाएँ तो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, किंतु यू.जी.सी.द्वारा स्टाफ़ नहीं दिया जाता।

x छात्र सुविधाएँ :

ये सुविधाएँ हो सकती हैं : कैन्टीन, सुरक्षित पेय जल सुविधा, मनोरंजन कक्ष, विनोद कक्ष, छात्रों के लिए परामर्श केंद्र आदि।

xi जयंती अनुदान :

25, 50, 60, 75 और 100 वर्ष पूरे होने पर जयंती अनुदान भी माँगे जा सकते हैं, यदि विश्वविद्यालय पूर्वोक्त जयंती वर्ष ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करे।

xii प्राकृतिक अपदाओं/त्रासदियों द्वारा हुई हानि का सामना करने के लिए सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से/विपत्तियों द्वारा जो हानि हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए विश्वविद्यालयों को जो सहायता प्रदान की जाएगी–वह अनुदान 11वीं योजना को सामान्य विकास सहायता का एक अंश होगा।

4.1 मद (i) से (xi) के लिए यू.जी.सी.सहायता 100 प्रतिशत आधार पर है।

4.2 1–4–2007 से 31–3–2012 तक की अवधि की ग्यारहवीं योजना के लिए खर्चे के रूप में यू.जी.सी.द्वारा अनुमोदित और विश्वविद्यालयों को सूचित विकास सहायता में मद सं. (i) से (xi) शामिल होंगी।

4.3 निम्नलिखित घटकों के लिए विश्वविद्यालयों को 31.3.2007 को दिए गए दसवीं योजना के अनुदानों का उपयोग निम्नलिखत विधि से किया जा सकता है :

i यू.जी.सी.द्वारा पहले से दिए जा चुके अनुदान के उपयोग के लिए 01–04–2007 से 31–03–2009 तक की दो वर्ष की छूट दे दी गई है, जब अनुदान पहले से स्वीकृत हो गया हो या भवन का निर्माण 31 मार्च 2007 को या उससे पहले शुरू हो गया हो।

ii पहले से मोचित अन्य सभी अनुदानों (फ़ेकल्टी पदों छोड़कर) का उपयोग केवल 30–09–2007 तक किया जा सकता है।

ii दसवीं योजना के फ़ेकल्टी पदों को भरने के लिए समय में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

4.4 मदें जिनके लिए सहायता उपलब्ध है :

4.4(i) आधारिक संरचना : भवन :

आयोग ने विश्वविद्यालयों को सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है, किंतु योजना अवधि के लिए कुल वित्तीय व्यय की सीमा के भीतर, उसके 50 प्रतिशत को निकाले बिना। परंतु आबंटन से ऊपर लागत की कोई वृद्धि नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह सलाह भी दी जाती है कि विलंब से बचने के लिए और निर्माण गतिविधि को सुचारु बनाने के लिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि हर दृष्टि से पूर्ण अपेक्षित प्रलेख, हर अनुमोदित भवन के लिए अलग–अलग, अंतिम ग्यारहवीं योजना सामान्य विकास आबंटन के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दे और यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जाए कि योजना अवधि की समाप्ति से पहले निर्माण परियोजनाएँ पूरी हो जाएँ।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सभी भवन परियोजनाओं के निर्माण के लिए दिशानिर्देश हैं :

<u>निर्माण समिति, उसका गठन और कार्य :</u>

क. कुलपति की अध्यक्षता में हर विश्वविद्यालय की निम्नलिखित सदस्यों की एक निर्माण समिति होनी चाहिए : कें. लो. नि. वि. या लो. नि. वि. उपक्रम का एक प्रतिनिधि जो कार्यपालक इंजीनियर से नीचे के पद का न हो, योजना बोर्ड का एक प्रतिनिधि, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, और प्रयोक्ता विभाग का एक प्रतिनिधि, कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो अध्यापकों के साथ जो प्रोफ़ेसर से नीचे के पद के न हों। निर्माण समिति अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरी विभाग (जहाँ वह हो), अध्यक्ष, वैद्युत इंजीनयरी विभाग (जहाँ वह हो), या विश्वविद्यालय में इंजीनियरी कालेज के प्रिंसिपल

(जहाँ वह हो) को भी सहयोजित कर सकती है। यदि विश्वविद्यालय को कोई इंजीनियरी विभाग या कालेज न हो तो वह निकटस्थ विश्वविद्यालय से किसी व्यक्ति, विश्वविद्यालय इंजीनियर, या विश्वविद्यालय वास्तुकार, या किसी सरकारी वास्तुकार को सहयोजित कर

सकती है। रजिस्ट्रार निर्माण समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा।

ख. निर्माण समिति स्थापित करने के तत्काल बाद उसके गठन की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे दी जाए।

ग. निर्माण समिति उत्तरदायी होगी – आयोग को प्रस्तावित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के प्लानों तथा आकलनों को अंतिम रूप देने के लिए और अनुमोदित प्लानों तथा आकलनों के अनुसार भवनों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार तथा विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से प्राप्त निधियों के सही उपयोग के लिए।

विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए प्लान तथा आकलन तैयार करने की प्रक्रिया

विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए प्लान तथा आकलन तैयार करने के लिए निम्नलिखित मानकों और प्रक्रियाओं का सुझाव दिया जाता है :

क. निर्माण परियोजनाओं के आकलन लो. नि. वि., या कें. लो. नि. वि., या स्थानीय नगर प्राधिकरण, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी ही निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिएँ। जहां जरूरी हो, भू तल पर ढलानों तथा शौचालयों की व्यवस्था की जाए ताकि भिन्नतः समर्थ (विकलांग) व्यक्ति भवनों का प्रयोग कर सकें।

ख. सेवाओं (आंतरिक जल आपूर्ति तथा सैनिटरी फिटिंग, आंतरिक विद्युतीकरण तथा बाह्य सेवाएँ), आकस्मिक व्यय, वास्तुकार की फ़ीस, संरचनात्मक इंजीनियर / परामर्शदाता की फ़ीस के लिए आकलन में प्रावधान लो. नि. वि. या कें. लो. नि. वि. या वास्तुकार परिषद द्वारा विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए।

ग. निर्माण परियोजना के लिए प्रस्ताव भेजते समय, विश्वविद्यालय को एक प्रमाणपत्र देना चाहिए कि प्लान तथा आकलन आयोग द्वारा उपर्युक्त पैरा क तथा ख में उल्लिखित मानकों के अनुरूप हैं।

घ. यदि नया निर्माण शुरू किया जाए, तो एक प्रमाणपत्र अपेक्षित होता है कि जिस जमीन पर निर्माण का प्रस्ताव है, वह विश्वविद्यालय के निर्विवाद स्वामित्व तथा कब्ज़े में हैं। जिन मामलों में भवन का निर्माण किसी वर्तमान भवन के ऊपर किया जाना हो, उन मामलों में संरचनात्मक इंजीनियर / परामर्शदाता से एक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए कि जिस संरचना पर

निर्माण करने का प्रस्ताव है वह प्रस्तावित निर्माण का भार सहन करने के लिए संरचनात्क दृष्टि से काफ़ी मजबूत है।

ङ. विश्वविद्यालय आयोग द्वारा अनुमोदित निर्माण परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए, उनकी प्लानिंग, वास्तुशिल्पीय डिज़ाइन, संरचनात्मक डिज़ाइन, आकलन तैयार करने तथा निर्माण कार्य सहित, निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प अपना सकता है, परंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि काम की प्लानिंग और निष्पादन में दो से अधिक एजेंसियाँ शामिल न हों :

i प्लानिंग, वास्तुशिल्पीय डिज़ाइन, संरचनात्मक डिज़ाइन, आकलन तैयार करने से संबंधित काम और निर्माण के निष्पादन का काम, निक्षेप कार्य के रूप में पूरा का पूरा, यथास्थिति, कें. लो. नि. विभाग या राज्य लो. नि. वि. को सौंप दिया जाए। या

ii वास्तुशिल्पीय डिज़ाइन वास्तुविद् तैयार करें और बाकी का काम, संचरनात्मक डिजाइन, आकलन तैयार करना तथा काम का निष्पादन कें. लो. नि. वि. या राज्य लो. नि. वि. या किसी राज्य अथवा केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सौंप दिया जाए या विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय स्तर पर किया जाए। या प्लानिंग, वास्तुशिल्पीय डिज़ाइन, संरचनात्मक डिज़ाइन तथा आकलन तैयार करने से संबंधित काम और निर्माण के पर्यवेक्षण का काम वास्तुविदों की किसी फ़र्म को, या अन्य सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी एजेंसियों को सौंप दिया जाए और काम का वास्तविक निष्पादन विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग को सौंपा जाए।

iii प्लानिंग, वास्तुशिल्पीय डिज़ाइन, संरचनात्मक डिज़ाइन, आकलन तैयार करने से संबंधित काम, निर्माण के पुनरीक्षण का कार्य तथा कार्य का निष्पादन – इन सबको सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थानों को सौप दिया जाय तथा कार्य के वास्तविक निष्पादन का कार्य विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया जाए।

च. ध्यान रहे कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त वास्तुविद् वास्तुकला परिषद के पास पंजीयित होना चाहिए।

छ. आकलन तैयार करते समय वास्तुविद्/इंजीनियर को देखना चाहिए कि वे कें. लो. नि. वि. या लो. नि. वि. के विनिर्देशों और दर अनुसूची पर आधारित हैं। आकलनों में कें. लो. नि. वि. या लो. नि. वि. की अनुसूची में तत्संबंधी मद संख्या का उल्लेख किया जाए जिसके आधार पर आकलन तैयार किए गए हैं और आकलन तैयार करने वाला पंजीयित वास्तुविद् / इंजीनियर प्रमाणित करे कि वे कें. लो. नि. वि. या संबंधित लो. नि. वि. की दर अनुसूची के अनुरूप हैं।

ज. किसी निर्माण परियोजना के लिए प्लान और आकलन विश्वविद्यालय की निर्माण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएँ। निर्माण समिति की बैठक में इंजीनियरी तथा वास्तुकला की पृष्ठभूमि वाले कम–से–कम दो सदस्य निरपवाद रूप से उपस्थित होने चाहिएँ।

यू.जी.सी.द्वारा निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया

विश्वविद्यालय को चाहिए कि सामान्य विकास योजना अनुदान के अंतर्गत अलग–अलग अनुमोदित हर भवन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रोफॉर्मा संलग्नक–I में यू.जी.सी.को निम्नलिखित प्रलेख निरपवाद रूप से भेजे, कुलपति या रजिस्ट्रार और, यथास्थिति, कार्यपालक इंजीनियर/लो. नि. वि. इंजीनियर द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित :

(क) प्रस्तावित भवन के ब्लू प्रिंट की दो प्रतियाँ, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, कार्यपालक इंजीनियर/अधीक्षक इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित।

(ख) निर्माण समिति द्वारा भवन के प्लानों तथा अनुमानों का यह प्रमाणित करते हुए अनुमोदन कि वे आयोग द्वारा सुझाए गए मानकों के अनुरूप हैं और दरें उस प्रदेश के सीएसआर के अनुसार हैं।

(ग) कुलपति तथा रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र कि जिस जमीन पर भवन बनाने का प्रस्ताव है, वह निर्विवाद रूप से विश्वविद्यालय के स्वामित्व और कब्ज़े में हैं।

(घ) यह वचनबद्धता कि प्रस्तावित निर्माण का निष्पादन विश्वविद्यालय के निर्माण प्रभाग द्वारा / लो. नि. वि. द्वारा संविदा के आधार पर या निक्षेप कार्य के रूप में किया जाएग (जो लागू न हो, उसे काट दें)। यदि विश्वविद्यालय का अपना सिविल / विद्युत इंजीनियरी विभाग न हो, तो निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण कार्य केवल सक्षम प्राधिकृत एजेंसी को दिया जाए।

(ङ) यह वचनबद्धता कि यदि यू.जी.सी.के अनुदान से अधिक खर्चा हो, तो वह विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा और निधि की कमी के कारण निर्माण में विलंब नहीं होगा।

(च) यदि प्रस्तावित भवन का निर्माण किसी वर्तमान भवन संरचना के ऊपर करने का प्रस्ताव हो, तो इस आशय का प्रमाणपत्र कि वर्तमान संरचना इतनी मजबूत है कि उसका भार वहन कर लेगी, विश्वविद्यालय के इंजीनियर, रजिस्ट्रार तथा कुलपति द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित।

(छ) यह प्रमाणपत्र कि विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित निर्माण के लिए पहले कोई अनुदान नहीं लिया है।

(ज) उस अवधि का उल्लेख करते हुए वचनबद्धता जिसमें परियोजना एक समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी।

(झ) लागत के सार को दर्शाने वाला विवरण (संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार), हर मद पर किए जाने वाले खर्चे के ब्योरे के साथ, प्रोफॉर्मा में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित।

(ञ) निर्माण समिति का गठन और संकल्प, सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, पदनाम सहित।

<u>महत्त्वपूर्ण टिप्पणी :</u>

इसके बाद इन दिशानिर्देशों में जब भी किसी निर्माण परियोजना के लिए प्रावधान/आबंटन किया जाए, अनुमोदन के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन किया जाए, सिवाय केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यू.जी.सी. द्वारा चलाए जा रहे समविश्वविद्यालयों के, जिनके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

विश्वविद्यालय निर्माण प्रस्ताव अपनी वित्त समिति के सामने रखें और वित्त समिति का निर्णय, विधिवत् भरे गए संलग्नकों के साथ, इस कार्यालय को भेजा जाए।

विश्वविद्यालय ग्यारहवीं योजना के आबंटन के अंतर्गत 'भवनों' के लिए खर्चे का कड़ाई से पालन करे। यू.जी.सी.द्वारा आबंटन से विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यदि पुनर्विनियोजन की जरूरत हो तो 'परिसर विकास' के अंतर्गत निर्माण परियोजनाओं के लिए आबंटन को व्यक्तिगत/भवन–वार अपनाया जाए।

वित्त समिति की सिफारिश / निर्णय इस कार्यालय को विचार और टिप्पणी, यदि कोई हो, के लिए भेज दिया जाए।

निर्माण कार्य शुरू करने के बाद निम्नलिखित जानकारी तत्काल यू.जी.सी.को भेज दी जाए :

क. निविदा सूचना
ख. काम शुरू करने की तिथि
ग. काम पूरा होने का संभावित समय।

2. उपर्युक्त प्रलेखों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगा और अपना अनुमोदन या अन्यथा संस्था को सूचित कर देगा।

3. उन निर्माणों के लिए कोई वित्तीय अनुमोदन नहीं दिया जाएगा जो आयोग का पूर्व अनुमोदन लिए बिना शुरू कर दिए गए हों।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन मिलने पर, विश्वविद्यालय मद–दर आधार पर निविदाएँ आमंत्रित कर सकता है। काम देने के छह माह के भीतर निविदा की जानकारी आयोग को उसके रिकार्ड के लिए भेज दी जाए।

5. अनुमोदित अनुदान के 10 प्रतिशत के बराबर अंतिम किस्त निम्नलिखित के बाद ही मोचित की जाएगी :

   क) भवन हर दृष्टि से मुकम्मल, निरीक्षित, अनुमोदित हो गया हो और अंत्य प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया हो।

   ख) फॉर्मेट के निर्धारित सेट में (संलग्नक 1 ख) समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो, उस एजेंसी द्वारा जिसने प्लान तथा आकलन तैयार किए थे और निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण किया था या, यथास्थिति, कें. लो. नि. वि. अथवा लो. नि. वि. या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और कुलपति या रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। (ये नियम कें. लो. नि. वि. या लो. नि. वि. के निक्षेप कार्य पर भी लागू होते हैं)।

6. विश्वविद्यालय अनुमोदित भवन को निर्माण समिति द्वारा स्वीकृत प्लानों के अनुसार और आकलनों में निर्धारित अवधि के भीतर अवश्य पूरा कर ले। यदि भवन को पूरा करने पर खर्चा आयोग द्वारा अनुमोदित राशि से बढ़ जाए तो अतिरिक्त खर्चा विश्वविद्यालय को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा, या आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदित मद(दों) से पुनर्विनियोजन द्वारा।

<u>निर्माण परियोजनाओं के लिए निधियों के मोचन की प्रक्रिया</u>

क) ऊपर लिखे अनुसार यू.जी.सी.द्वारा निर्माण प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, यू. जी.सी.अधोलिखित कार्यक्रम के अनुसार निधियों का मोचन करेगा :

i निर्माण कार्य के अनुमोदन पर 50 प्रतिशत।

ii जब पहली किस्त के 100 प्रतिशत का उपयोग हो जाए और खर्चे की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए **(संलग्नक II),** तब 40 प्रतिशत।

iii शेष 10 प्रतिशत जब समापन प्रलेख प्राप्त हो जाएँ। समापन प्रलेखों का अर्थ होगा निम्नलिखित प्रलेखों की प्राप्ति :

–अंतिम लागत को निरूपित करने वाले संशोधित आकलन।

–कुल लागत के लिए उपयोग प्रमाणपत्र।

–परिसंपत्ति प्रमाणपत्र।

–कुलपति या रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी तथा विश्वविद्यालय इंजीनियर और/या वास्तुविद् द्वारा हस्ताक्षरित समापन प्रमाणपत्र।

–समापन लागत प्रोफॉर्मा।

4.4(ii) **परिसर विकास**

परिसर विकास में शामिल हैं जमीन का विकास, बाड़ / सीमांत भित्ति का निर्माण, जल, विद्युत, सीवरेज लाइनों को बिछाना और उनका संवर्धन, वाटर वर्क्स, विद्युत सब–स्टेशन / ट्रान्सफॉर्मरों का निर्माण व संवर्धन, सड़कों का निर्माण, रोपण और भू–दृश्य निर्माण आदि। ऐसी अन्य मद पर भी परिसर विकास के अंतर्गत विचार किया जा सकता है जिसका औचित्य विश्वविद्यालय विषेषज्ञ राय के आधार पर सिद्ध कर सके। तथापि, परिसर विकास की किसी अलग मद पर यू.जी.सी.द्वारा केवल विशेषज्ञ राय और आकलनों की प्रति (मद–वार) के आधार पर ही विचार किया जाएगा और स्वीकृति दी जाएगी। यदि निर्माण निहित हो तो परिसर विकास परियोजनाओं के लिए निर्माण परियोजनाओं वाले नियम लागू होंगे। प्रावधान कुल वित्तीय खर्च के 50 प्रतिशत के निर्माण आबंटन से लिया जाएगा।

4.4(iii) **स्टाफ़**

(क) अध्यापन स्टाफ़

इस मद के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के दौरान विभिन्न विषयों में प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों के पद बनाने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। तथापि, योजना की अवधि के दौरान, यदि जरूरी समझा जाए तो विश्वविद्यालय को अनुमति होगी कि समीक्षा करे और एक विषय में कोई पद छोड़कर, आबंटन के भीतर किसी अन्य विषय में पद(दों) के सृजन के लिए यू.जी.सी.का अनुमोदन माँगे। इस मद के अंतर्गत सृजित पदों के लिए यू.जी.सी.की सहायता केवल 5 वर्ष की योजना अवधि के लिए उपलब्ध होगी और 31.3.2012, अर्थात् योजना अवधि की समाप्ति के बाद नहीं, चाहे नियुक्ति की तिथि कुछ भी हो। अतः स्टाफ़ वेतन मद के अंतर्गत यू.जी.सी.से सहायता लेने के लिए, विश्वविद्यालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि यू.जी.सी.द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और स्वीकृत पदों को यू.जी.सी.के अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर भर लिया जाए।

तथापि, यू.जी.सी.द्वारा अनुमोदित किसी भी पद के प्रति यू.जी.सी.की सहायता के मोचन के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के बाद पद को बनाए रखने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति / कार्य परिषद के संकल्प के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न की जाए। फिर भी, विश्वविद्यालय यू.जी.सी.द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार केवल योजना अवधि के लिए संविदा के आधार पर अध्यापन स्टाफ़ की नियुक्ति कर सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यू.जी.सी.द्वारा चलाए जा रहे समविश्वद्यालयों के लिए, जिन्हें यू.जी.सी.100 प्रतिशत अनुदान देता है, यह सहमति जरूरी नहीं है।

विश्वविद्यालय को चाहिए कि हर नियुक्ति करने के तत्काल बाद संलग्न निर्धारित प्रोफॉर्मा में **(संलग्नक–III)** निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करे :

1. आयोग की सहायता बंद होने के बाद उक्त पद के वेतन के प्रति दायित्व वहन करने के लिए राज्य सरकार का या स्वयं विश्वविद्यालय का आश्वासन।

2. नियुक्त व्यक्ति का नाम।

3. एक प्रमाणपत्र कि नियुक्त व्यक्ति यू.जी.सी.द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ पूरी करता है।

4. उक्त पद पर नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति किस पद पर था/थी और संस्था का नाम जहाँ वह काम कर रहा था/थी।

5. नया पद ग्रहण करने की तिथि।

6. चयन समिति का कार्यवृत्त।

7. वेतनमान में दिए गए मासिक वेतन का ब्योरा, भत्तों सहित।

8. वित्तीय वर्ष के अंत तक देय राशि।

9. दी जाने वाली वृद्धियों की संख्या, यदि कोई हो।

10. यदि नियुक्त व्यक्ति उसी विश्वविद्यालय से हो तो परिणामी रिक्ति भरने के लिए की गई कार्रवाई।

11. इस आशय का प्रमाणपत्र कि नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मानकों के अनुसार की गई है।

(ख) अध्यापनेतर/तकनीकी पद

लेक्चरर या समतुल्य स्तर से नीचे के अध्यापनेतर/तकनीकी पदों का सृजन **नहीं** किया जाएगा और न ही स्वीकृति दी जाएगी। परंतु दसवीं योजना में और उसके बाद सृजित केंद्रीय विश्वविद्यालय इस प्रावधान से मुक्त होंगे।

4.4(iv) केंद्रीय पुस्तकालय

इस मद के अंतर्गत आयोग आशा करता है कि हर विश्विद्यालय का एक सुव्यवस्थित और व्यापक, स्वचालित, अंकीय केंद्रीय पुस्तकालय हो। अतः विश्वविद्यालय को प्रयास करना चाहिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को न केवल समृद्ध किया जाए, बल्कि उसका पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण भी किया जाए। इस मद के अंतर्गत आबंटित अनुदान के 10 प्रतिशत तक की राशि भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए है यथा फर्नीचर, उपस्कर, कंप्यूटरीकरण और पुस्तकालय का स्वचालीकरण।

4.4(v) उपस्कर

इस मद के अंतर्गत पुस्तकालय/प्रयोगशालाओं में, अध्यापन साधनों, अनुसंधान के लिए और कार्यालय के काम के लिए उपस्कर लेने के लिए सहायता उपलब्ध है। अच्छा हो कि योजना बनाने तथा उपस्कर खरीदने के लिए हिताधिकारी विभागों की एक समिति गठित की जाए। पाँच लाख रुपए से अधिक लागत वाले उपस्कर के उपयोग के लिए एक लॉगबुक अवश्य रखी जाए। मध्यावधि या परवर्ती समीक्षाओं के लिए लॉगबुक अवश्य उपलब्ध कराई जाए। इस मद के अंतर्गत आबंटित अनुदान के 10 प्रतिशत तक की राशि का प्रयोग वर्तमान उपस्कर की मरम्मत और उपस्कर के भंडारण के लिए भी किया जा सकता है।

4.4(vi) अतिरिक्त/अभिनव अनुसंधान गतिविधियाँ

नियोजित नई अनुसंधान गतिविधियाँ – कोई भी अनूठी अभिनव स्कीमें जो विश्वविद्यालय शुरू करना चाहे और जो ग्यारहवीं योजना अवधि की यू.जी.सी.की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत न आती हों।

4.4(vii) नई विस्तार गतिविधियाँ और आउटरीच कार्यक्रम

नियोजित नई विस्तार गतिविधियां और आउटरीच कार्यक्रम जिनके लिए विश्वविद्यालय को निधि की आवश्यकता हो।

4.4(viii) विश्वविद्यालय की आईसीटी अपेक्षाएँ

सूचना, संचार और प्रौद्योगिक (आईसीटी) अपेक्षाएँ यथा डाटाबेस बनाना, प्रशासन, लेखा तथा परीक्षा प्रणाली का स्वचालीकरण।

4.4(ix) स्वास्थ्य केंद्र

इस मद के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण के लिए और उनपचेय उपस्कर की खरीद के लिए सहायता दी जाती है। इस मद के अंतर्गत किसी पद के लिए सहायता की अनुमति नहीं है (केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यू.जी.सी.द्वारा चलाए जा रहे समविश्वविद्यालयों को छोड़कर); और औषधियों तथा अपचेय उपस्कर की खरीद के लिए विश्वविद्यालय को रखरखाव अनुदान के अंतर्गत या प्रयोक्ता से या किसी अन्य स्रोत से व्यवस्था करनी होती है। इस मद के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण की प्रक्रिया वही होगी जो परिसर विकास के अंतर्गत मदों के लिए है।

4.4(x) छात्र सुविधाएँ

क) छात्र सुविधाओं में शामिल हैं कैन्टीन का निर्माण तथा सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था (फर्नीचर और बरतनों सहित) और मनोरंजन कक्ष तथा बाह्य मनोरंजन सुविधाएँ भी या परिसर में छात्रों की जरुरतों के अनुसार कोई अन्य सुविधा। इस मद के अंतर्गत यू.जी.सी.सहायता की स्वीकृति और संवितरण के लिए प्रक्रिया वही होगी जो भवन निर्माण या परिसर विकास के अंतर्गत मदों के लिए है।

ख) विश्वविद्यालयों/कालेजों में शैक्षिक, व्यावसायिक तथा निजी परामर्श के लिए परामर्शदाता।

4.4(xi) जयंती अनुदान

जो विश्वविद्यालय 25, 50, 60, 75 और 100 वर्ष की वर्षगांठ पूरी कर रहे हों, उन्हें पूंजी व्यय की अपेक्षा वाली कोई गतिविधि चलाने के लिए सहायता दी जाएगी तथा पुराने भवनों का नवीकरण और नए भवनों का निर्माण जो विशाल और अवसर के उपयुक्त हो। मिलने वाली राशि नीचे लिखे अनुसार होगी :

सहायता की राशि

क्र. सं.	समारोह का स्वरूप	(रु. लाखों में)
1.	शताब्दी वर्ष (100 वर्ष)	100.00
2.	प्लाटिनम जयंती (75 वर्ष)	75.00
3.	हीरक जयंती (60 वर्ष)	60.00

4.	स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)	50.00
5.	रजत जयंती (25 वर्ष)	25.00

जो विश्वविद्यालय ग्यारहवीं योजना (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2012) के दौरान अपने 25, 50, 60, 75 तथा 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और जयंती अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और योजना के अंतर्गत यह अनुदान लेने के इच्छुक हैं, उन्हें यू.जी.सी.को निम्नलिखित के साथ प्रस्ताव भेजना चाहिए : विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि का प्रमाण (इस उद्देश्य के लिए समविश्विद्यालय की स्थिति दिए जाने की तिथि या राज्य विश्वविद्यालय के मामले में अधिनियम पारित होने की तिथि को लिया जाए), उनके अस्तित्व की पूरी हो चुकी वह अवधि जिसके लिए सहायता माँगी जा रही है, भवनों के नवीकरण /निर्माण के लिए या पूँजीगत स्वरूप की अन्य गतिविधियों के लिए योजनाओं तथा आकलनों का ब्योरा, और विकास प्रस्ताव जिसके लिए विकास अनुदानों के खर्चे से ऊपर अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराए जाएँगे। पूर्व व्यप्ति के साथ कोई अनुदान नहीं दिए जाएँगे।

4.4(xii) प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों द्वारा हुई हानि की भरपाई करने के लिए सहायता

सहायता की मात्रा :–

सहायता राशि की सीमा दो बातों पर निर्भर होगी–आपदा का स्वरूप क्या था तथा निधि की उपलब्धता/प्रभावित विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है–उस क्षेत्र के जिला अधिकारी/कमिश्नर द्वारा जो भी अनुमान/अनुशंसा दी जाएगी उसी आधार पर उस हानि की सुनिश्चित किया जाएगा। आर्थिक सहायता की भागीदारी यू.जी.सी./राज्य सरकार के मध्य 75–25 प्रतिशत के रूप में होगी।

5. यू.जी.सी.द्वारा अनुदान के मोचन के लिए प्रक्रिया

विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी.की निधियों का प्रवाह सरल बनाने के उद्देश्य से, निधियाँ मोचित करने की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अनुदान का मोचन नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :

आबंटन के 20 प्रतिशत की पहली किस्त सभी मदों के लिए, सिवाय निर्माण के, जिसके लिए विश्वविद्यालय पात्र है और ग्यारहवें सामान्य योजना विकास के अंतर्गत उपयुक्त अनुदान आबंटित किया गया है, मोचित कर दी जाए। अनुदान की दूसरी और परवर्ती किस्तें प्रगति रिपोर्ट, व्यय का विवरण / पिछले अनुदानों का उपयोग प्रमाणपत्र **(संलग्नक–IV)** प्राप्त होने पर मोचित की जाएँगी।

स्टाफ़ वेतन शीर्ष के अंतर्गत तब तक कोई अनुदान मोचित नहीं किया जाएगा जब तक यू. जी.सी.को राज्य सरकार से या स्वंय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से यह

आश्वासन न मिल जाए कि योजना की अवधि की समाप्ति के बाद वे अनुमोदित अध्यापन पदों का दायित्व ले लेंगे।

यदि विश्वविद्यालय ग्यारहवीं योजना अवधि की समाप्ति से पहले अनुमोदित पद न भरे तो यू.जी.सी.आबंटन रद्द हो जाएगा। स्टाफ़ वेतन से अन्य अनुमोदित मदों को पुनर्विनियोजन की अनुमति होगी।

ख. सामान्य विकास अनुदान के साथ विलयित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त अनुदान

यू.जी.सी.का विचार है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को सामान्य विकास अनुदान के साथ विलयित कर दिया जाए। इस योजनाओं के लिए आबंटन ग्यारहवीं योजनाओं के शुरू में विज़िटिंग समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर किया जाएगा। योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निधि के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय इनमें से हर योजना के अंतर्गत अपेक्षित निधियों को हर योजना के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अलग से निर्दिष्ट कर सकता है :

यात्रा अनुदान

सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/कार्यशालाएँ

प्रकाशन अनुदान

अतिथि प्रोफ़ेसरों/अतिथि अध्येताओं की नियुक्ति

दिवस देखभाल केंद्र

जोखिम खेल और खेल आधारिक संरचना तथा उपस्करों के विकास के लिए नई योजनाएँ

पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमांत क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान

युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए पुनरुद्धार अनुदान

यंत्र रखरखाव सुविधा (आईएमएफ़)

महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ

फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम (एम.फिल / पीएच.डी करने के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति)

समान अवसर काष्ठ

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–संपन्न वर्ग) / अल्प–संख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ

विश्वविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ की स्थापना

भिन्नतः समर्थ (विकलांग) व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

यात्रा अनुदान

इस योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर होगी :

पिछले वर्ष की पहली अप्रैल को स्थायी फ़ेकल्टी की संख्या	**यू.जी.सी.का समर्थन प्रति वर्ष (रु. लाखों में)**
50 तक	3.00
51–100	5.00
101 – 300	8.00
300 से अधिक	12.00

उद्देश्य

क. अध्यापकों / वैज्ञानिक / तकनीकी अधिकारियों / प्रशासनिक स्टाफ़ अर्थात् समकुलपति / रेक्टर, रजिस्ट्रारों, पुस्तकालय अध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा को विदेशों में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों / संगोष्ठियों / परिसंवादों / कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए समर्थन देना।

ख. सी.एस.आई.आर./इन्सा तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विनियम कार्यक्रमों के अंतर्गत चुने गए अध्यापकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किराया और निर्वाह भत्ता।

ग. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अध्यापकों तथा अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान।

घ. अध्यापकों/वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों तथा प्रशासनिक स्टाफ़ अर्थात् रजिस्ट्रारों / पुस्तकालय अध्यक्षों / निदेशक, शारीरिक शिक्षा को भारत में अनुसंधान केंद्रों में जाने या शैक्षिक सम्मेलनों / संगोष्ठियों / परिसंवादों / कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए समर्थन।

ङ. भारत के भीतर विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम।

यात्रा अनुदान के लिए पात्रता

क. जिन्हें अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलनों / संगोष्ठियों / परिसंवादों / कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हो। कार्यक्रम का स्तर और उसे आयोजित करने वाली संस्था की प्रतिष्ठा भी वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय/व्यावसायिक हो और हिताधिकारियों की कुशलताओं को बढ़ाने या उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए सक्षम हो।

ख. वित्तीय सहायता प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में दी जाए :

मूल संबोधन / पूर्ण भाषण करने वाले अध्यापक।

निबंध प्रस्तुत करने वाले।

किसी सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित।

जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत आमंत्रित किए गए हों।

जो परिसंवाद / वार्ता / आमंत्रित व्याख्यान देने के लिए या कलाओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हों।

ग. इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वित्तीय सहायता 3 वर्ष में एक बार 100 प्रतिशत आधार पर उपलब्ध होगी

घ. योजना के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करते समय अजा / अजजा/ ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) प्रत्याशियों के दावे को प्राथमिकता दी जाए।

ङ. यात्रा अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय के कुलपति और मान्यता प्राप्त कालेजों के अध्यायपकों के लिए नहीं किया जाएगा, उनके लिए यू.जी.सी.की अलग योजना है।

यात्रा अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया

संबंधित अध्यापकों/अधिकारियों द्वारा अनुदान के लिए आवेदन कार्यक्रम की तिथि से कम–से–कम 60 दिन पूर्व विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रलेखों के साथ भेजा जाए :

क) अध्यापकों/अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/परिसंवादों/ कार्यशालाओं में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए प्रलेखों/निबंधों के पूर्ण पाठ्य की तीन प्रतियाँ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्योरा उपलब्ध कराया जाए, चाहे वह अल्प अवधि का ही हो।

ख) आयोजकों का संक्षिप्त ब्योरा, कार्यक्रम का नाम, सम्मेलन का स्थान तथा अवधि आदि जिसमें निबंध प्रस्तुत किया जाना है या भाग लेना है।

ग) सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद के आयोजकों से निमंत्रण के पत्र की प्रति जिसमें निबंध की प्राप्ति के तत्काल बाद उसे प्रस्तुति के लिए स्वीकार किया गया हो, या अध्यापकों/अधिकारियों को किसी सत्र/खंड की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करने वाले आयोजकों के पत्र की प्रति जिसमें दी जाने वाली वित्तीय सहायता के ब्योरे का उल्लेख हो, संलग्न की जाए।

घ) अल्प अवधि की संगोष्ठियों / परिसंवादों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में निमंत्रण या अन्य संबंधित प्रलेख संलग्न किए जाएँ।

सहायता का स्वरूप

क) विश्वविद्यालय अनाबंटित अनुदान में से सहायता के लिए यात्रा, हवाई पत्तन कर, निर्वाह तथा पंजीयन प्रभार के उल्लिखित स्वीकार्य व्यय के एक अंश को पूरा कर सकता है, बशर्ते शेष व्यय विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अपनी निधि से किया जाए या विश्वविद्यालय को स्वीकार्य अन्य स्रोतों से। अध्यापकों को शेष व्यय स्वयं अपने संसाधनों से वहन करने की अनुमति भी दी जा सकती है।

ख) भाग लेने के लिए चुने गए व्यक्ति उन क्षेत्रों में भ्रमण कोटि की टिकटों पर यात्रा करें, जहाँ वे लागू हों।

ग) दैनिक भत्ता भारत सरकार में अनुमत दरों पर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, आवास के प्रभारों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के आदेशों के अनुसार वास्तविक के आधार पर की जाए।

घ) सहायता के लिए चुने गए अध्यापक/ अधिकारी उस देश में कम से कम दो सप्ताह बिताएँ जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम से बाहर के दिनों की अवधि का प्रयोग अपने विषय के क्षेत्र की संस्थाओं में जाने के लिए करें। काम, और ऐसे दौरों की विस्तृत योजना विश्वविद्यालय को प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर दी जाए।

1.2 सीएसआईआर, इन्सा तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए अध्यापकों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा किराया और निर्वाह भत्ता

इन्सा, सीएसआईआर, डीएसटी, आईसीएसएसआर, आईसीएआर, आईसीएचआर, एमसीआई तथा अन्य एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत जाने वाले अध्यापकों को इस योजना के अंतर्गत उनके यात्रा व्यय के 50 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध करा दी जाए। (विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि यात्रा व्यय का षेष 50 प्रतिशत अपने रखरखाव अनुदान से उपलब्ध न कराएँ क्योंकि यू.जी.सी.द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी)। अन्य नियम

तथा शर्तें वही हैं जो अध्यापकों के विदेश में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा के संबंध में हैं, यथा समूह 1.1 शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित।

1.3 अध्यापकों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा अनुदान।

नियम तथा शर्तें वही हैं जो इस यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत अध्यापकों की विदेश यात्रा के संबंध में हैं। विश्वविद्यालय/उसकी चयन समिति आयोजकों की ख्याति / अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर विचार करे और हर मामले का निर्णय उसके गुणागुण के आधार पर करे।

1.4 अध्यापकों/अनुसंधान छात्रों/रजिस्ट्रारों तथा समतुल्य पदों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों को भारत के भीतर अनुसंधान केंद्रों में जाने या शैक्षिक सम्मेलनों / संगोष्ठियों / परिसंवादों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

उपर्युक्त अध्यापकों, छात्रों तथा अधिकारियों को छह महीने में एक बार इस सुविधा का लाभ दे दिया जाए ताकि यह लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सके।

इस मद के अंतर्गत सहायता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चुने गए उपर्युक्त अध्यापकों, छात्रों तथा अधिकारियों को विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार टीए / डीए और पंजीयन शुल्क का भुगतान, अधिकतम **रु. 10,000 /–** तक, 100 प्रतिशत आधार पर कर दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सहायता के अनुरोध को अलग माना जाए और व्यक्ति को एक या दूसरे में जाने से वंचित न किया जाए।

1.5 भारत के भीतर अध्यापकों के शैक्षिक विनियम के लिए यात्रा अनुदान

देश के भीतर अध्यापकों / विशेषज्ञों/ वैज्ञानिकों के दौरों के लिए निम्नलिखित मानक अपनाए जाएँगे :

i आतिथ्य विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क आवास और भोजन स्वयं अपने स्रोतों से उपलब्ध कराया जाए।

ii आगंतुक अध्यापकों / विशेषज्ञों का यात्रा व्यय इस योजना के अंतर्गत अनुदान से आतिथेय संस्था द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, हवाई किराए सहित (जहाँ ज़रूरी हो), कुलपति के अनुमोदन से पूरा कर लिया जाए।

iii आगंतुक अध्यापक / विशेषज्ञ को **रु. 1000/–** प्रति व्याख्यान / संगोष्ठी तक मानदेय दिया जा सकता है। कम–से–कम दो सप्ताह की अवधि के आयोजन के लिए अधिकतम **रु. 3000/–** की राशि स्वीकार्य होगी।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष व्यय विवरण और भौतिक निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक v** के रूप में संलग्न निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा यू.जी.सी.को अवश्य भेजे।

2. सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ/परिसंवाद/अल्प–कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस स्कीम के लिए वित्तीय सहायता नीचे लिखे अनुसार होगी :

पिछले वर्ष की पहली अप्रैल को स्थायी फ़ेकल्टी की संख्या	यू.जी.सी.का समर्थन प्रति वर्ष (रु. लाखों में)
50 तक	3.00
51–100	4.00
101–300	5.00
300 से अधिक	7.00

ग्रीष्मकालीन संस्थानों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों जैसे दीर्घकालीन कार्यक्रम शैक्षिक स्टाफ़ कालेजों (एएससी) तथा विश्वविद्यालयों के मान्यता प्राप्त विभागों द्वारा चलाए जाते हैं। अतः 'अनाबंटित अनुदान' के अंतर्गत सहायता केवल अल्पकालीन (15 दिन से कम) कार्यशालाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रमों / संगोष्ठियों / परिसंवादों तथा अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / प्रादेशिक / राज्य स्तर के सम्मेलनों जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ही उपलब्ध होगी। ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ही उपलब्ध होगी। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी.को सूचित किए बिना आयोजित किए जा सकते हैं। उन्हें आयोजित करने के लिए निम्नलिखित कसौटियाँ अपनाई जाएँ।

i उन स्कूलों या विभागों को प्राथमिकता दी जाए जिन्होंने शून्य या बहुत कम कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

ii ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए जो नई जागरूकता ला सकें और कोई नई बात प्रस्तुत कर सकें।

iii काफ़ी गतिविधि या प्रणोद वाले अनुसंधान के क्षेत्रों / उभरते हुए क्षेत्रों में कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए।

बाहर से आने वाले व्यक्तियों, संसाधन व्यक्तियों सहित, के लिए यात्रा भत्ता और प्रासंगिक व्यय संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिया जाए।

सचिवालयी/लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी सहायता सहित, परिवहन, कार्यालय आपूर्ति, डाक व्यय, साइक्लोस्टाइलिंग, ज़ीरॉक्सिंग तथा अन्य मदें संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार।

कार्यक्रम के निदेशक और संसाधन व्यक्तियों को मानदेय रु. 1500/– प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और राज्य स्तर के सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय/प्रादेशिक / राज्य स्तर के सम्मेलनों के लिए सहायता नीचे लिखे अनुसार उपलब्ध कराई जाए :

– अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन रु. 3.00 लाख तक।
– राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन रु. 2.00 लाख तक।
– प्रादेशिक / राज्य स्तर का सम्मेलन रु. 1.00 लाख तक।

सहायता की राशि भाग लेने वालों की संख्या और सम्मेलन की प्रतिष्ठा के अनुसार तय कर ली जाए।

किए गए ख़र्चे का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक – VI** में है।

3. प्रकाशन अनुदान

इस स्कीम के लिए वित्तीय सहायता नीचे लिखे अनुसार दी जाएगी :

पिछले वर्ष की पहली अप्रैल को स्थायी फ़ेकल्टी की संख्या	यू.जी.सी.का समर्थन प्रति वर्ष (रु. लाखों में)
50 तक	3.00
51–100	4.00
101–300	5.00
300 से अधिक	7.00

I विश्वविद्यालयों को प्रकाशन अनुदान के अंतर्गत यू.जी.सी.का समर्थन निम्नलिखित के प्रकाशन के लिए है :

डॉक्टरेट का थीसिस
उच्च स्तर के अनुसंधान निबंध
दिए गए व्याख्यान यथा यू.जी.सी.के राष्ट्रीय व्याख्यान या प्रमुख व्यक्तियों के नाम से स्थापित व्याख्यान
फ़ेकल्टी के विद्वत्तापूर्ण योगदान (पाठ्य पुस्तक नहीं)
संगोष्ठी या सम्मेलन के निबंध

यह समर्थन मुख्यतः निजी प्रकाशकों के काम में सहायता के रूप में दिया जाए। संदर्भित पत्रिकाओं में लेखों के प्रकाशन के मामले में, विश्वविद्यालयों द्वारा पूरा समर्थन दिया जा सकता है। तथापि, डॉक्टरेट के थीसिस के अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों के प्रकाशन के लिए दी जाने वाली सहायता की मात्रा पर एक विशेषज्ञ

समिति की मदद से विचार किया जाए जो विश्वविद्यालयों द्वारा इसी उद्देश्य के लिए गठित की गई हो।

II कालेजों के जो अध्यापक अपना पीएच.डी. का थीसिस/उच्च स्तर का अनुसंधान कार्य प्रकाशित करवाना चाहते हों, उनके प्रस्तावों पर भी संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा विचार किया जाए। विश्वविद्यालय उस रचना/थीसिस का मूल्यांकन परीक्षकों से भिन्न दो विशेषज्ञों से करवा ले। यू.जी.सी.द्वारा किए गए आबंटन से विश्वविद्यालय थीसिस/अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन के लिए हर विशेषज्ञ को रु. 500/– तक मानदेय दे सकता है।

III किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय सम्मेलनों अथवा संगोष्ठियों के कार्यवृत्त के प्रकाशन के ख़र्चे पर भी विश्वविद्यालय द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

IV विश्वविद्यालय इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पेनलों की सलाह पर, शुरू में तीन वर्ष के लिए, यू.जी.सी.द्वारा पहचानी गई श्रेष्ठ पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखने के लिए अधिकतम **रु. 30,000/–** प्रति वर्ष का प्रावधान कर सकता है। किसी पत्रिका–विशेष के लिए सहायता की मात्रा मामले के गुणागुण पर तय की जाए, यथा पत्रिका का वितरण, हर वर्ष मुद्रित पृष्ठों की संख्या, गत 3 वर्षों के दौरान मुद्रित और बेची गई प्रतियों की संख्या, चंदे की दर तथा आय, विभिन्न स्रोतों से इमदाद सहित, और ख़र्चा।

V पुस्तकों के आवर्ती प्रकाशन पर इस स्कीम के अंतर्गत विचार न किया जाए। सहायता केवल प्रथम प्रकाशन के लिए एक ही बार उपलब्ध होगी। प्रकाशन केवल भारत में ही मुद्रित किया जाए।

VI विश्वविद्यालय रचना को अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रण में प्रकाशित कर सकता है या उसे प्रतिष्ठित प्रकाशकों से प्रकाशित करवा सकता है। प्रकाशन के खर्चे का भुगतान लेखक को न किया जाए, बल्कि विश्वविद्यालय द्वारा सीधा प्रकाशक को किया जाए। यदि प्रकाशन विश्वविद्यालय के प्रेस द्वारा न किया जाए तो प्रकाशक के बारे में लेखक से परामर्श किया जा सकता है।

VII इस स्कीम के अंतर्गत अपनी रचना के प्रकाशन के लिए लेखकों को कोई वित्तीय योगदान करने की अनुमति न दी जाए।

VIII इस स्कीम के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अनुमोदित रचना के कॉपीराइट का प्रश्न तय करने के लिए विश्वविद्यालय भारतीय कॉपीराइट अधिनियम अपना सकता है।

IX उच्च शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों को प्रकाशन के लिए अनुसंधान कार्य तथा थीसिस का सही चयन करने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। पांडुलिपियों को सामान्यतः संबंधित क्षेत्र के दो विशेषज्ञों द्वारा जाँचा जाए (परीक्षकों से भिन्न)।

X विश्वविद्यालय गुणता तथा प्रस्तुति की दृष्टि से पांडुलिपियों के संपादन, संदर्भन तथा अंतरण के लिए व्यावसायिक लोगों की सेवाएँ ले सकता है और इस उद्देश्य के लिए आबंटित अनुदान में से ख़र्चा कर सकता है।

XI प्रकाशन के लिए किसी पांडुलिपि को चुनते समय वाणिज्यिक प्रकाशकों/वितरकों की सलाह लेने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रकाशित रचना के लिए राज्य और/या प्रादेशिक बिक्री एजेंट/वितरक नियुक्त करने के औचित्य पर विचार कर सकते हैं।

XII किसी थीसिस के प्रकाशन के लिए इमदाद की राशि **रु. 20,000/–** से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि विश्वविद्यालय थीसिस का प्रकाशन अपने से न कर रहा हो, उस स्थिति में वह प्रकाशन पर वास्तविक ख़र्चा कर सकता है।

XIII यदि किसी प्रकाशन के लिए सहायता काफ़ी बड़ी हो तो विश्वविद्यालय को उसे अपने प्रकाशन के रूप में लेना चाहिए और उसकी बिक्री से मिलने वाली राशि का प्रमुख अंश (लेखक की रॉयल्टी, खुदरा विक्रेता की कमीशन आदि का प्रावधान करने के बाद) प्रकाशन की निधि में जमा कर देना चाहिए, ताकि उससे अन्य पुस्तकों के प्रकाशन को समर्थन मिल सके। यू.जी.सी.के समर्थन से प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री से मिलने वाली धन राशि का प्रयोग विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्व के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

XIV ऐसे ही उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसियों के बीच उचित समन्वय होना चाहिए यथा आईसीएचआर, आईसीएसएसआर, एनबीटी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला आदि। दोहरी सहायता से बचने के लिए विश्वविद्यालयों को चाहिए कि ऐसे प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए आवेदन पत्र में एक स्तंभ जोड़ दें कि क्या इसी प्रकाशन के लिए किसी अन्य संस्था से संपर्क किया गया है और यदि हाँ, तो किस परिणाम के साथ। व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक – VII** में हैं।

4. अतिथि प्रोफ़ेसरों/अध्येताओं की नियुक्ति

इस स्कीम के लिए वित्तीय सहायता नीचे लिखे अनुसार होगी :

पिछले वर्ष की पहली अप्रैल को स्थायी फ़ेकल्टी की संख्या	यू.जी.सी.का समर्थन प्रति वर्ष (रु. लाखों में)
50 तक	2.00
51–100	3.00
101–300	4.00
300 से अधिक	6.00

क. **अतिथि प्रोफ़ेसर :**

1. अतिथि प्रोफ़ेसर को अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वान होना चाहिए। सामान्यतः अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति पर विचार करना चाहिए जो प्रोफ़ेसर के पद पर रहा हो या अब भी हो या विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो।

2. अतिथि प्रोफ़ेसर की नियुक्ति का अधिकतम कार्यकाल दो वर्ष है और न्यूनतम तीन माह। विश्वविद्यालय 70 तक की आयु वाले व्यक्ति को अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

3. किसी प्रोफ़ेसर को उसी विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त न किया जाए जिसमें उसने अधिवर्षिता से तत्काल पूर्व या बाद में किसी पद पर काम किया हो।

4. यदि किसी अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्ति को अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त किया जाए तो उसे **रु. 15,000/–** प्र.मा. से अधिक मानदेय न दिया जाए, अधिवर्षिता के किन्हीं लाभों को छोड़कर।

5. देश के बाहर से अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को **रु. 20,000/–** प्र.मा. तक का मानदेय दिया जा सकता है।

6. यदि किसी भारतीय विश्वविद्यालय में काम कर रहे किसी व्यक्ति को अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त किया जाए तो उसका मानदेय इस प्रकार तय किया जाए – वेतन जमा मूल वेतन का 10 प्रतिशत जमा महँगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, यदि कोई हों, (वाहन भत्ता छोड़कर, यदि हो), मूल विश्वविद्यालय की दरों के अनुसार। लेने वाला विश्वविद्यालय सामान्य नियमों के अनुसार पेंशन संबंधी लाभों या सीपीएफ़/जीपीएफ़ के लिए भी अंशदान करेगा।

7. आशा की जाती है कि जब किसी कार्यरत व्यक्ति को अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त किया जाए तो उसका मूल विश्वविद्यालय उसे बिना वेतन के ड्यूटी छुट्टी देगा।

8. यदि स्थायी तौर पर विदेश में काम कर रहे किसी व्यक्ति को अतिथि प्रोफ़ेसर के रूप में आमंत्रित किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा का ख़र्चा विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से वहन करे। नियुक्त अतिथि प्रोफ़ेसरों को भारत के भीतर यात्रा का व्यय विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दे दिया जाए।

9. आशा की जाती है कि आतिथेय विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि गृह आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु भोजन का ख़र्चा अतिथि प्रोफ़ेसर द्वारा वहन किया जाएगा।

ख. अतिथि अध्येता

1. अतिथि अध्येता अपने विषय में प्रतिष्ठित विद्वान होना / होनी चाहिए। अतिथि अध्येता के रूप में नियुक्ति के लिए 70 वर्ष की आयु तक के अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सकता है। अतिथि अध्येता का न्यूनतम कार्यकाल एक सप्ताह से कम न हो और अधिकतम तीन माह तक।

2. अतिथि अध्येता को एक माह तक के लिए रु. 600/– प्रति दिन तक का दैनिक भत्ता दिया जा सकता है। एक माह से अधिक के लिए दर वही हो सकती है जो अतिथि प्रोफ़ेसर के लिए है।

3. यात्रा व्यय विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वहन किया जाए।

4. आशा की जाती है कि अतिथि अध्येता के रूप में नियुक्ति के दौरान मूल संस्था वेतन तथा सामान्य भत्ते के साथ शैक्षिक छुट्टी देगी।

5. आतिथेय विश्वविद्यालय अतिथि अध्येता को विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराएगा, परन्तु भोजन का ख़र्चा अतिथि अध्येता द्वारा वहन किया जाएगा।

6. उसी व्यक्ति को उसी विश्वविद्यालय में एक वर्ष में एक से अधिक बार अतिथि अध्येता के रूप में आमंत्रित न किया जाए, परन्तु एक वर्ष के भीतर 3 माह की अवधि को विश्वविद्यालय द्वारा इच्छानुसार विभाजित किया जा सकता है।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष **संलग्नक–VIII** के रूप में संलग्न निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय विवरण और भौतिक निष्पादन के लिए प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजे।

5. दिवस देखभाल केंद्र

उद्देश्य

कार्यशील माता–पिता को अपने काम और / या शैक्षिक कैरियर को चलाने में मदद के लिए यू.जी.सी.अध्यापकों / विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के छह वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विश्वविद्यालयों में भुगतान के आधार पर दिवस देखभाल सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। इसमें वे पुरुष कर्मचारी / विद्वान / छात्र भी शामिल हैं जिनकी पत्नियाँ अन्यत्र काम करती हैं।

सहायता का स्वरूप

दिवस देखभाल केंद्र को 25 से 30 बच्चों के लिए लगभग 800 से 1200 वर्ग फ़ीट का पर्याप्त भीतरी स्थान दिया जाए। यदि बच्चों की संख्या बढ़ जाए तो स्थान तथा स्टाफ़ और उपस्कर में भी तदनुरूप वृद्धि होनी चाहिए। गतिविधियों, विश्राम तथा भोजन के लिए अलग स्थान होना चाहिए और हो सके तो शिशुओं के लिए एक अलग कक्ष भी। विश्वविद्यालय के पास स्कीम को लागू करने के लिए उचित सुविधाएँ, संसाधन तथा कर्मचारी होने चाहिएँ।

दिवस देखभाल केंद्र का परिवेश बाल–मैत्रीपूर्ण होना चाहिए – बड़े रंगीन प्रदर्शन और खेल की ऐसी सामग्री वाले गतिविधि केंद्र जिसे लेकर बच्चा अपने से खेल सके, निर्देशित गतिविधि के अलावा। यह एक सुरक्षित स्थान पर स्थित होना चाहिए, यातायात, सीढ़ियों तथा लिफ़्टों के जोखिम से दूर, और सामान्य शौचालयों के बहुत निकट नहीं होना चाहिए।

जो विश्वविद्यालय यू.जी.सी.अधिनियम की धारा 12 (ख) के अंतर्गत आता है, उसके दिवस देखभाल केंद्र को आयोग द्वारा रु. 5.00 लाख का एक–बारगी एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद यू.जी.सी.इस स्कीम को समर्थन **नहीं** देगा। अनुदान का उपयोग अनिवार्य सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए किया जाए। दिन–प्रतिदिन का और संचालन का खर्चा मात–पिता से एकत्र किए जाने वाले भुगतान से पूरा किया जाए। दिवस देखभाल केंद्र को किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ के लिए चलाने की अपेक्षा नहीं है।

प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक–IX** में है।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण और भौतिक निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजे।

6. जोखिम खेल और खेलों के लिए आधारिक संरचना तथा उपस्कर का विकास

उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों में खेलों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए और विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच सहकारी टीम कार्य की भावना पेदा की जाए, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और साहस तथा दृढ़ निश्चय के साथ उनसे सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता। इस प्रकार, यह युवाओं को अपनी भरपूर ऊर्जा, उत्साह तथा कल्पना के लिए एक सकारात्मक एवं स्वस्थ माध्यम उपलब्ध कराती है और क्रियाकलाप के असंख्य क्षेत्रों में देश के भावी नेताओं के रूप में अपना न्यायपूर्ण स्थान लेने के लिए एक अवसर भी।

उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्कीम निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है :

क. वैसे तो सभी युवा छात्रों को जोखिम खेलों की सुवधिाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, फिर भी यह स्कीम विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिशुओं तथा युवा छात्रों के लिए उद्दिष्ट है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में।

ख. कुछ छात्रों को, किसी विषय विशेष में उनकी ''उपलब्धि'' के स्तर के आधार पर, उसी या संबंधित विषय में जोखिम गतिविधि के अधिक उन्नत स्तर में भाग लेने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।

ग. जोखिम खेल आधारिक संरचना को, जहाँ वह पहले से उपलब्ध है, और अधिक सुधारने/सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। अन्य स्थानों पर, विश्वविद्यालय ऐसी न्यूनतम सुविधाएँ बनाने में सहायता देंगे ताकि उनके छात्रों के लिए ऐसी गतिविधियाँ चलाने में सुविधा हो।

यू.जी.सी.से वित्तीय सहायता का स्वरूप

खेल आधारिक संरचना के निर्माण, उपस्कर और जोखिम खेल चलाने के लिए यू.जी.सी. रु. 50.00 लाख तक अनुदान उपलब्ध कराएगा।

खेल आधारिक संरचना

यू.जी.सी.विश्वविद्यालयों में खेल आधारिक संरचना के निर्माण के लिए रु. 25.00 लाख की ऊपरी सीमा के भीतर ''एकबारगी'' अनुदान उपलब्ध कराएगा जिसमें शामिल होंगे : जिम्नेज़ियम, विभिन्न खेलों के लिए मैदानों का विकास तथा संबंधित उपस्कर, और जोखिम खेलों के संचालन/आयोजन के लिए।

जोखिम गतिविधियाँ

(i) ज़मीन पर	हर कार्यक्रम के लिए		टिप्पणी
	अवधि (दिन)	भाग लेने वालों की संख्या	
(क) स्नो स्कीइंग	5	50	
(ख) ट्रेकिंग	10	30	
(ग) ऊँचाई पर ट्रेकिंग	10	30	
(घ) रॉक क्लाइंबिंग	5	30	
(ङ) स्वयं भाग लेने वालों द्वारा भिन्न–भिन्न भूभागों में व्यवस्थित किए जाने वाले साइकलों में साइकल सफ़ारी	10	30	
(च) मरुस्थल सफ़ारी/ट्रेकिंग	10	30	

(ii) **समुद्र/झीलों में**

(क) झीलों में पवन सर्फ़िंग	5	30
(ख) समुद्र बोध	5	30

(iii) **नदी में**

(क) श्वेत जल रैफ़्टिंग	3 दिन और 2 रातें	32
(ख) कायाकिंग और कैनोइंग	3 दिन और 2 रातें	32

(iv) **आकाश में**

(क) पैरा सेलिंग	5	50
(ख) पैरा ग्लाइडिंग	5	30
(ग) माइक्रो लाइट फ़्लाइंग	5	30
(घ) पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग	5	30
(ड़) बैलूनिंग	2	50

(v) **अन्य गतिविधियाँ, उन्नत जोखिम खेलों सहित :** हर जोखिम प्रस्ताव के गुणागुण पर तय किया जाए।

एक विश्वविद्यालय को 2 (दो) घटनाएँ / कार्यक्रम चुनने की अनुमति होगी।

कार्यक्रमों को चलाने के लिए मानक : कार्यक्रमों के संचालन, समग्र प्रबंधन, समन्वय, नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग के लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालन एजेंसी को देय :

<u>गतिविधि</u>	<u>अनुमत व्यय</u>
(क) भोजन और आवास	जोखिम खेल कार्यक्रम की अवधि के लिए रु. 200/– प्रति दिन प्रति व्यक्ति
(ख) आधार शिविर से शिविर स्थल तक और वापस बस द्वारा यात्रा व्यय	रु. 2500/– प्रति बस
(ग) किराए पर उपस्कर लेना	किराए की वास्तविक लागत, हर कार्यक्रम के लिए अधिकतम रु. 8,000/– तक, सिवाय पर्वतारोहण तथा स्नोस्कीइंग के जिसके लिए राशि रु. 16,000/– प्रति कार्यक्रम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) विशेष भत्ता	विशेष आवश्यकताओं यथा कुली का प्रभार, चिकित्सा सहायता आदि को पूरा करने के लिए जोखिम खेल कार्यक्रम की अवधि के लिए रु. 50/– प्रति दिन प्रति व्यक्ति।
(ङ) समूह के साथ जाने वाले अनुदेशकों (2 से 4 प्रति कार्यक्रम) को मानदेय	रु. 5,000/– प्रति कार्यक्रम से अधिक नहीं
(च) फुटकर व्यय (कार्यक्रम से संबंधित)	रु. 5000/– प्रति कार्यक्रम
(छ)संस्थागत प्रभार प्रति कार्यक्रम	उपर्युक्त (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के योग का 10 प्रतिशत

कार्यक्रमों के संचालन को मॉनिटर करने के लिए विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा नामित विशेषज्ञों को टीए/डीए : विश्वविद्यालय/कालेज के मानकों के अनुसार, किंतु कार्यक्रम के प्रति दिन के लिए रु. 200/– से कम नहीं।

भाग लेने वालों के वित्तीय दायित्व

आधार शिविर तक और वापस परिवहन की व्यवस्था भाग लेने वालों द्वारा स्वयं की जाएगी।

''प्रतिबद्धता राशि'' का भुगतान : कार्यक्रम बनाते और उसे अंतिम रूप देते समय विश्वविद्यालय/कालेज भाग लेने वाले हर छात्र से नीचे दी गई दर से ''प्रतिबद्धता राशि'' एकत्र करेंगे और उसे कार्यक्रम के समग्र खर्चे में शामिल कर लेंगे। यू.जी.सी.द्वारा इन दरों की समीक्षा की जा सकती है :

(क) जमीन पर	**राशि प्रति कार्यक्रम (रु.)**
स्नो स्कीइंग	400.00
ट्रेकिंग	300.00
ऊँचाई पर ट्रेकिंग	400.00
रॉक क्लाइंबिंग	100.00
साइकल सफ़ारी	100.00
मरुस्थल सफ़ारी, ट्रेकिंग	300.00
(ख) समुद्र और झीलों में	
झीलों में पवन सर्फिंग	200.00

समुद्र बोध	200.00
(ग) नदी में	
श्वेत जल रैफ़्टिंग	100.00
कायाकिंग और कैनोइंग	100.00
(घ) आकाश में	
पैरा सेलिंग	100.00
पैरास ग्लाइडिंग	100.00
माइक्रो लाइट फ़्लाइंग	100.00
पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग	100.00
बैलूनिंग	100.00

बीमा : कार्यक्रम शुरू होने से पहले भाग लेने वाला हर छात्र अपने खर्चे से न्यूनतम रु. 25000/– की राशि का बीमा कराएगा/गी।

भाग लेने वाले छात्रों और उनके अनुरक्षकों के चयन के लिए कसौटियाँ

भाग लेने वाले छात्र

क) **आयु सीमा** : इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जोखिम खेल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों की आयु सीमा 17–35 वर्ष होगी।

ख) **रिक्तियाँ भरने के लिए प्राथमिकताएँ** : समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जोखिम–प्रेमी छात्रों को अंतिम वर्ष के छात्रों से प्राथमिकता दी जाए।

ग) **स्वस्थता प्रमाणपत्र** : भाग लेने वाले छात्र जोखिम खेल कार्यक्रम झेलने के लिए मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हों। भाग लेने वाले छात्र के लिए किसी अर्हताप्राप्त चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें लिखा हो कि छात्र कार्यक्रम को झेलने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है।

घ) **हर छात्र को एक शैक्षिक वर्ष में केवल एक कार्यक्रम में ही भाग लेने की अनुमति होगी,** ताकि अधिकतम संख्या में छात्र इस योजना का लाभ उठा सकें।

ङ) **पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक अध्ययन कर रहे छात्र भी** जोखिम खेल कार्यक्रमों / घटनाओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

स्टाफ़ के सदस्यों में से अनुरक्षकों की प्रतिनियुक्ति

क) सामान्यतः लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग कार्यक्रम / घटनाएँ होंगी और अनुरक्षकों के रूप में दो शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

ख) जब एक ही कार्यक्रम / घटना में लड़के और लड़कियाँ दोनों भाग ले रहे हों, तो अनुरक्षक के रूप में और कार्यक्रम में प्रशासन में मदद करने के लिए भी एक महिला शारीरिक शिक्षा अध्यापिका निरपवाद रूप से उस समूह में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त की जाएगी।

विश्वविद्यालयों / कालेजों द्वारा प्रस्तावों का निष्पादन / कार्यक्रमों का संचालन

यू.जी.सी.की निरीक्षण समितियाँ निरीक्षण के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत अनुदानों की सिफ़ारिश करेंगी। विश्वविद्यालय यू.जी.सी.द्वारा अनुमोदित स्वीकार्य खेल आधारिक संरचना का निर्माण करेगा। जोखिम खेलों के लिए, विश्वविद्यालय कार्यक्रमों को चलाने के लिए कोई एजेंसी चुनेगा, अच्छा हो कि कोई ग़ैर–सरकारी संगठन जो, अपने स्वरूप से, सामान्यतः ग़ैर–वाणिज्यिक आधार पर काम करता है, अतः उसे किसी वाणिज्यिक जोखिम संगठन की तुलना में प्राथमिकता दी जाए। कार्यक्रमों के निष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपे जाने वाले ग़ैर–सरकारी संगठन का चयन उसके सामर्थ्य के आधार पर निम्नलिखित वांछनीय कसौटियों को ध्यान में रखकर किया जाए।

क. गैर–सरकारी संगठन की देश में बहुत व्यापक मौजूदगी होनी चाहिए ताकि वह कालेज/विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जोखिम गतिविधियों का आयोजन और संचालन अनेक स्थानों पर कर सके।

ख. उसमें विविधता होनी चाहिए, अर्थात् अपने से या संबद्ध जोखिम संगठनों के माध्यम से अधिकतम जोखिम विषयों में कार्यक्रम चला सके।

ग. वह कम से कम 10 वर्ष से इस क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहा हो और, इस प्रकार, कार्यक्रमों को विश्वसनीयता के साथ चलाने के लिए आधारिक संरचना तथा निपुणता विकसित कर ली हो।

घ. विश्वविद्यालय के संबद्ध कालेज के छात्रों के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए, आवश्यकतानुसार, उपस्कर तथा टीमों को ले जाकर देश के अन्य चुने हुए स्थानों पर अपने संसाधनों को प्रवृत्त करने की क्षमता हो।

ङ. चुनी गई संचालन एजेंसी, चाहे वह विश्वविद्यालयों / कालेजों के छात्रों के लिए जोखिम खेल कार्यक्रमों / घटनाओं का आयोजन अपने से करती हो या क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक संगठनों से निष्पादित करवाती हो, अपने अतीत के रिकार्ड तथा विश्वसनीयता के आधार पर, उसे सौंपे गए जोखिम खेल कार्यक्रमों / घटनाओं के सुयोग्य और सुरक्षित संचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए सक्षम होगी।

च. कार्यक्रम/ घटना के दौरान, विशेषतः जब रात्रि का विराम निहित हो, भाग लेने वालों के लिए भोजन तथा आवास की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए।

यू.जी.सी.से अनुमोदन की प्राप्ति और अनुदान के मोचन से पहले ही, विश्वविद्यलाय/ कालेज उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर एजेंसी/एजेंसियों की लघु सूची बना लें जो कार्यक्रम चला सकती हैं। यू.जी.सी.का अनुमोदन प्राप्त होते ही पूरा विवरण हाथ में लेकर पूरी तरह समन्वित/पुष्ट कर लिया जाए यथा भाग लेने वाले छात्रों की नाम सूची बनाना, आवेदन पत्र भरना, समय से नामांकन, भाग लेने वाले छात्रों का रु. 25,000/– का बीमा कराना, ''प्रतिबद्धता राशि'' एकत्र करना, चलाने वाली एजेंसी तय करना, स्थान/आधार शिविर की अवस्थिति, कार्यक्रम की तिथियाँ, आचरण की रीतियाँ तय करना आदि।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय विवरण और भौतिक निष्पादन के लिए प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजे।

7. पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमान्त क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान

उद्देश्य

देखा गया है कि महानगरों तथा शहरी व अर्ध–शहरी इलाकों में स्थित विश्वविद्यालयों और पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/सीमांत क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों में स्पष्ट असमानता है। यह असमानता हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रमुख कमज़ोरी है और इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्यारहवीं योजना की एक प्राथमिकता यह है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की कमज़ोरियों तथा शक्तियों की पहचान की जाए और फिर कमज़ोरियों को दूर करने तथा शक्तियों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित निधि उपलब्ध कराई जाए। असमानताओं को आंशिक रूप से दूर करने तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों में संप्रति विद्यमान उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से आयोग ने ''पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान'' नामक एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले हिताधिकारी विश्वविद्यालय अपनी वर्तमान आधारिक संरचना को सुदृढ़ कर सकेंगे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मूल आधारिक संरचना का निर्माण कर सकेंगे।

इस स्कीम का उद्देश्य है कि पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमांत क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और आधारिक संरचना में सुधार किया जाए, इष्टतम अध्यापन, साम्यता तथा कम से कम आधार स्तर तक पहुँच प्राप्त की जाए। इससे विश्वविद्यालयों को उस स्तर तक उभरने में मदद मिलेगी जहाँ वे शिक्षा में अभिनवता ला सकें और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर सकें। ऐसा करके इन क्षेत्रों के छात्र देश के अन्य शहरी तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों के स्तर तक पहुँच जाएँगे। इस प्रकार पिछड़े/ ग्रामीण/ दूरस्थ/ सीमांत क्षेत्रों से महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों को प्रवसन भी थम जाएगा। इन क्षेत्रों में स्वरोज़गार के अवसर खोलकर क्षेत्र विशेष में काम के अतिरिक्त अवसर भी उभरेंगे।

पात्रता/लक्ष्य

इस स्कीम के अंतर्गत वस्तुतः पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमांत इलाकों में स्थित और 1956 के यू.जी.सी.अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत पात्र सभी विश्वविद्यालयों पर विचार किया जाएगा। जिस विश्वविद्यालय ने दसवीं योजना में इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान ले लिया हो और ग्यारहवीं योजना में भी पात्र हो, उस पर भी इस स्कीम के अंतर्गत निधि के लिए विचार किया जाएगा। 100 प्रतिशत योजनेतर अनुदान लेने वाले सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और समविश्वविद्यालय इस स्कीम की परिधि से बाहर हैं।

किसी विश्वविद्यालय के पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमांत इलाकों के स्थित होने की पहचान के लिए मानक :

क) पिछड़े

उन सभी विश्वविद्यालयों को पिछड़े इलाके के ज़िले में स्थित माना जाएगा जो वस्तुतः राष्ट्रीय औसत से कम जीईआर वाले ज़िलों में स्थित हों और कालेजों की संख्या प्रति एक लाख आबादी के लिए 5 से कम हो।

ख) ग्रामीण

ऐसे इलाके में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय ग्रामीण विश्वविद्यालय होगा जहाँ ग्राम पंचायत बनी हुई हो।

ग) दूरस्थ क्षेत्र

ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय को दूरस्थ क्षेत्र में स्थित माना जाएगा जो 5 किमी तक पक्की सड़क से संयोजित न हो। यह ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाए।

घ) सीमांत क्षेत्र

उन ज़िलों को सीमांत क्षेत्र ज़िले माना जाएगा जिनकी सीमा किसी पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करती हो। उन ज़िलों में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय इस स्कीम के अंतर्गत पात्र होगा। यह ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाए।

सहायता का स्वरूप

इस स्कीम के अंतर्गत पात्र विश्वविद्यालयों को गयारहवीं योजना के दौरान रु. 100.00 लाख (एक सौ लाख) का एकबारगी अनुदान दिया जाएगा यदि वह उपर्युक्त किसी एक कोटि के अंतर्गत आता हो। यदि वह उपर्युक्त दो कोटियों के अंतर्गत आता हो तो अनुदान रु. 1.25 करोड़ होगा और यदि दो से अधिक कोटियों के अंतर्गत आता हो तो अनुदान रु. 1.50 करोड़ होगा। इस अनुदान का उपयोग केवल पूँजीगत स्वरूप की

आधारिक संरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण/उन्नयन/संवर्धन के लिए किया जा सकता है, यथा पुस्तकालय, स्टाफ़ क्वार्टरों, कक्षाओं, प्रयोगाशालाओं, छात्रावासों, सम्मेलन भवन आदि जैसी केंद्रीय सुविधाएँ।

प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक–X** में है।

मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रिया

स्कीम को मॉनिटर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से वार्षिक प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी, और लेखा विवरण, लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र तथा समापन प्रलेख (आधारिक संरचना परियोजनाएँ)। तथापि, ज़रूरी समझा जाए तो निगम ने स्थल पर मॉनिटरिंग के लिए एक विशेषज्ञ समिति भेजने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

8. नव–निर्माण विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अुनदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए नवीकरण अनुदान

उद्देश्य

इस समय राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तम शिक्षा की और उच्च शिक्षा के आकांक्षी छात्रों की बढ़ती हुई संख्या की माँगों को पूरा करने की है। उच्च शिक्षा में गुणवता और मात्रा दोनों की माँग को पूरा करने के लिए ज़रूरत है बेहतर शैक्षिक एवं भौतिक आधारिक संरचना की, अधिक वित्तीय संसाधनों की और शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या की। इस बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए हर वर्ष नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इन नए विश्वविद्यालयों को अपनी आधारिक संरचना का विकास करना होता है, जिसके लिए काफ़ी निधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे नए होते हैं और अपनी स्थापना के समय प्रायः ऐसी आधारिक संरचना से वंचित होते हैं। इसी प्रकार, 100 वर्ष से अधिक पुराने विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवता बनाए रखने के लिए आधारिक संरचना का नवीकरण करना होता है। अतः, ग्यारहवीं योजना के दौरान यू.जी.सी.द्वारा विशेष ध्यान देने के लिए चुना गया एक क्षेत्र यह है कि नए स्थापित किए गए इन विश्वविद्यालयों और पुराने विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान देकर सुदृढ़ किया जाए।

पात्रता/लक्ष्य

जो विश्वविद्यालय यू.जी.सी.अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं और धारा 12 (ख) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र घोषित किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2007 को दस वर्ष से अधिक आयु के नहीं है, वे 'युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान' की इस स्कीम के अंतर्गत यू.जी.सी.से अनुदान लेने के लिए पात्र हैं। जिस विश्वविद्यालय ने दसवीं योजना में इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया हो और ग्याहरवीं योजना में भी पात्र हो, उस पर भी इस स्कीम के अंतर्गत निधि के लिए विचार किया जाएगा। 'पुराने विश्वविद्यालयों के लिए पुनरुद्धार अनुदान' उनको दिया जाएगा जो अपनी स्थापना के 50 से अधिक वर्ष पूरे कर चुके हैं।

सहायता का स्वरूप

पात्र विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं योजना के दौरान एकबारगी अनुदान के रूप में सहायता मिलेगी जिसकी अधिकतम सीमा होगी :

युवा विश्वविद्यालय	–	रु. 1.00 करोड़
पुराने विश्वविद्यालयों के लिए पुनरुद्धार अनुदान	–	रु. 1.00 करोड़

इस घटक के अंतर्गत विश्वविद्यालय अपनी भौतिक आधारिक संरचना के वर्धन/सुधार/विस्तार के लिए उपलब्ध अनुदान का उपयोग कर सकता है।

इस अनुदान का उपयोग केवल पूँजीगत स्वरूप की आधारिक संरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है यथा पुस्तकालय, छात्रावास, स्टाफ़ क्वार्टर, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, कैंटीनें, ऑडिटोरियम, अतिथि गृह, खेल के मैदान और भवनों/आधारिक संरचना की मरम्मत तथा नवीकरण आदि।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष संलग्नक के रूप में संलग्न निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में यू.जी.सी.को व्यय का विवरण और भौतिक निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजे। आवेदन भेजने के लिए प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक–XI** में है।

9. यंत्र रखरखाव सुविधा (आईएमएफ़)

उद्देश्य

i) आईएमएफ़ का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की मरम्मत और रखरखाव में प्रभावी एवं किफ़ायती सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

ii) आईएमएफ़ यंत्रों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के प्रयोक्ताओं को सेवा की गुणता के बारे में संतुष्ट करने का प्रयास करेगी।

iii) आईएमएफ़ प्रशिक्षण और अन्य आईएमएफ़ तथा देश भर में ऐसी ही सेवाएँ उपलब्ध करा रहे केंद्रों के साथ अनुभव के आदान–प्रदान के अवसरों के माध्यम से स्टाफ़ के विकास के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।

पात्रता

केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, और समविश्वविद्यालय जो यू.जी.सी.अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत हैं, पीजी विज्ञान विभागों के लिए अपनी संस्थाओं में आईएमएफ़ स्थापित करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यूएसआईसी कार्यक्रम वाला विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालय आईएमएफ़ यूनिट के लिए पात्र **नहीं** होगा। वे सभी विश्वविद्यालय भी ग्यारहवीं योजना के दौरान आईएमएफ़ के लिए पात्र होंगे जो दसवीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए यू.जी.सी.द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं।

सहायता का स्वरूप और अवधि

इस स्कीम के अंतर्गत आयोग ग्यारहवीं योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा :

क. आवर्ती

	रु. (प्र.व.)लाख में
स्टाफ़ : तकनीकी अधिकारी – 1 @ रु. 15000/– प्रति माह, ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए संविदा के आधार पर	1.80
न्यूनतम अर्हता : यंत्रीकरण/इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई./बी. टेक. या समतुल्य और यंत्रों की मरम्मत तथा रखरखाव में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	
उनमें से एक कंप्यूटर लैब के लिए हो सकता है जिसके लिए अर्हता होगी – हार्डवेयर के यथेष्ट ज्ञान के साथ एमसीए	
तकनीशियन – 2 @ रु. 10,000/– प्रति माह, ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए संविदा के आधार पर।	2.40
न्यूनतम अर्हता : डिप्लोमा या समतुल्य (यंत्रीकरण/इलेक्ट्रॉनिक्स में) और 3 वर्ष का अनुभव या आईटीआई अथवा समतुल्य (यंत्रीकरण/इलेक्ट्रॉनिक्स) और यंत्रों की मरम्मत तथा रखरखाव में 5 वर्ष का अनुभव।	
यंत्रों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए अनिवार्य कलपुर्ज़े, घटक, आकस्मिक व्यय	1.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.50

ख. अनावर्ती (यथा ग्यारहवीं योजना की पूरी अवधि के लिए ''एकबारगी'' अनुदान)

परीक्षण और मापन यंत्र यथा सीआरओ, मल्टीमीडिया, डीवीएम, सिग्नल जनरेटर आदि	रु. 2.00 लाख
पर्सनल कंप्यूटर, सॉफ़्टवेयर सहित	रु. 2.00 लाख
योग	**रु. 4.00 लाख**

इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान इस शर्त पर दिया जाएगा कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित मानकों का यथेष्ट पालन किया जाए।

स्टाफ़ का वेतन निम्नलिखित प्रलेख प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा :

i) पद/पदों के विज्ञापन का लिखित प्रमाण।

ii) चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त, सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित।

iii) तकनीकी अधिकारी और तकनीशियन के पद के लिए चुने गए व्यक्तियों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक अर्हताओं का लिखित प्रमाण।

iv) विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति की अधिसूचना/प्रस्ताव की प्रति।

v) पदभार ग्रहण करने की रिपोर्टें।

प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक–XII** में है।

10. महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए विशेष स्कीम

उद्देश्य

अपनी इच्छा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों की बढ़ती हुई गतिशीलता छात्रावासों की माँग पैदा करती है। रिहायशी यूनिट के रूप में छात्रावास सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित कर सकता है, सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है, विशेषतः महिला छात्राओं को जो अनजाने शहरों में अकेली, या छोटे समूहों में भी नहीं रह सकतीं। महिला छात्रावासों की बहुत कमी है, न केवल मात्र महिलाओं की सेवा करने वाली संस्थाओं में, बल्कि देश की कुछ सुस्थापित पुरानी सह–शिक्षा संस्थाओं में भी, जो पिछले दशकों में अधिकतर पुरुष छात्रों को ही लेती थीं जब महिलाओं में शिक्षा के लिए अपने रिहायशी स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने की कोई गतिशीलता नहीं थी। आज, महिलाएँ पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और, कई मामलों में, उन्हें पीछे छोड़ रही हैं, व्यावसायिक कार्यक्रमों में भी और पारंपरिक विषयों में भी। आज, छात्रों में एक–तिहाई महिलाएँ हैं और देश के अनेक राज्यों में उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। परंतु, उच्च अध्ययन के लिए महिलाओं की छात्रावास सुविधाओं में उस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लक्ष्य को पूरा करने और समग्र समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करने के लिए और लिंग समानता तथा महिलाओं का बराबर प्रतिनिधित्व लाने के लिए भी छात्रावास तथा अन्य आधारिक संरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए विशेष स्कीम को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने का निर्णय लिया है।

पात्रता/लक्ष्य

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वे विश्वविद्यालय पात्र होंगे जो यू.जी.सी.की परिधि के भीतर आते हैं और यू.जी.सी.अधिनियम की धारा 12 (ख) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। परन्तु, जो विश्वविद्यालय दसवीं योजना के दौरान वर्धित अनुदान ले चुके हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत पात्र **नहीं** हैं।

प्राथमिकता :

उन क्षेत्रों में मुख्यतः अल्पसंख्यकों को सेवा देने वाले विश्वविद्यालयों में, जहाँ ऐसे अल्पसंख्यकों विशेषतः मुसलमानों का घनत्व है, महिला छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।

सहायता का स्वरूप

केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालय और 100 प्रतिशत योजना एवं योजनेतर अनुदान लेने वाले समविश्वविद्यालय इस स्कीम के अंतर्गत यू.जी.सी.से 100 प्रतिशत आधार पर सहायता लेने के पात्र हैं, किंतु निम्नलिखित सीमा तक और पिछले 3 वर्षों में महिलाओं की भरती के अनुसार। प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफ़ॉर्मा संलग्न है **(संलग्नक–XIII)**।

राशि (रु. लाखों में)

महिलाओं की भरती	**नॉन–मेट्रो**	**मेट्रो**
250 तक	60.00	120.00
251–500	80.00	160.00
500 से अधिक	100.00	200.00

इस यूनिट के अंतर्गत अनुदान स्वीकार करने की प्रक्रिया

1. अनुदानग्राही विश्वविद्यालय द्वारा इस घटक के अंतर्गत निर्माण परियोजनाओं के लिए सहायता–अनुदान स्वीकार करने की निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।

2. ऐसे निर्माण कार्य के लिए इस स्कीम के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं की जाएगी जो प्रस्तावित परियोजना के प्लान तथा आकलनों के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन लिए बिना शुरू कर दिया गया हो जैसा कि ग्यारहवीं योजना सामान्य विकास स्कीम के अनुसार निर्माण परियोजना के लिए बताया गया है।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में यू.जी.सी.को उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय का विवरण और भौतिक निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट अवश्व भेजे।

11. महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ

उद्देश्य

महिला छात्राओं, अध्यापिकाओं, अनुसंधानकर्त्रियों ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षकेतर स्टाफ़ सदस्यों के लिए आधारिक संरचना बनाने तथा सुदृढ़ करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

पात्रता/लक्ष्य समूह

1956 के यू.जी.सी.अधिनियम की धारा 2 (च) और 12 (ख) में शामिल सभी विश्वविद्यालय इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान लेने के लिए पात्र हैं। लक्षित समूह है सभी पात्र विश्वविद्यालयों की महिला छात्राएँ, अध्यापिकाएँ, अनुसंधानकर्त्रियाँ और शिक्षणेत्तर स्टाफ़।

सहायता का स्वरूप

इस स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को आधारिक संरचना के निर्माण, रखरखाव तथा उन्नयन के लिए, अधोलिखित किसी एक या सभी के अंतर्गत, रु. 50.00 लाख तक की राशि दी जाएगी :

(क) महिला शौचालय
(ख) महिला विनोद कक्ष/साइबर कैफ़े
(ग) जिम्नेज़ियम
(घ) चिकित्सा कक्ष

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष **संलग्नक–XIV** के रूप में संलग्न निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में यू.जी.सी.को व्यय विवरण और भौतिक निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजे।

12. फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम (एफ़आईपी)

परिचय

आयोग इस स्कीम के अंतर्गत उन शिक्षकों के लिए निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता देगा जो पात्र विश्वविद्यालयों में नियुक्त हैं और एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री के लिए अपनी शैक्षिक/अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना चाहते हैं :

एफ़आईपी के अंतर्गत अध्यापकों के चयन के लिए पैरामीटर नीचे दिए गए हैं :

स्थायी फ़ेकल्टी की संख्या		वित्तीय सहायता (रु. लाखों में)
50 तक	–	10.00
51–100	–	15.00
101–300	–	20.00
300 से अधिक	–	25.00

उद्देश्य

फ़ैकल्टी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ''अध्यापक अध्येतावृत्ति'' का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को एम.फिल./पीएच.डी. के लिए अनुसंधान जारी रखने का अवसर उपलब्ध कराना है।

पात्रता/लक्षित समूह

- आयोग उन विश्वविद्यालयों के छात्रों को सहायता उपलब्ध कराएगा जो यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के अंतर्गत यू.जी.सी.द्वारा रखी गई सूची में शामिल हैं।
- अध्यापक स्थायी/पुष्ट हों।
- आवेदन की तिथि को अध्यापक की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो (महिला अध्यापिकाओं और अजा/अजजा कोटि, अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यापकों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है)।
- अध्यापक के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ (अजा/अजजा/ओ.बी.सी. (गैर–संपन्न वर्ग) अध्यापकों के लिए 45 प्रतिशत अंक) कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। 19 सितंबर, 1991 के बाद नियुक्त अध्यापक के मामले में, मास्टर के स्तर पर उसके कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. (गैर–संपन्न वर्ग) अध्यापकों के मामले में 50 प्रतिशत अंक) या ओ. ए. बी. सी. डी. ई. तथा एफ़ अक्षर ग्रेडों वाले सात स्तरीय ग्रेडिंग पैमाने में समतुल्य।
- 'अध्यापक अध्येतावृत्ति' के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अध्यापक के पास कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए।
- उस अध्यापक को प्राथमिकता दी जाए जिसने यू.जी.सी.से या किसी अन्य एजेंसी से कोई अध्यापक अध्येतावृत्ति न ली हो।
- अध्यापक अध्येता स्वयं को किसी कालेज/विश्वविद्यालय/संस्था में एम.फिल. के लिए रजिस्टर करेगा, जहाँ संबंधित विषय में एम.फिल. कार्यक्रम की व्यवस्था हो। पीएच.डी. पूरी करने के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति चाहने वाला अध्यापक किसी मान्यताप्राप्त कालेज/विश्वविद्यालय/संस्था में अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर चुका हो जिसके पास यथेष्ट अनुसंधान सुविधाओं के साथ संबंधित विषय में सुविकसित स्नातकोत्तर विभाग हो।
- अध्यापक अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान अध्यापक अपने मूल विश्वविद्यालय से पूरा वेतन लेता रहेगा।
- यह स्कीम उन अध्यापकों पर भी लागू होगी जो पूरे वेतन पर अध्ययन छुट्टी के हक़दार हैं। परंतु, यह उनकी इच्छा पर होगा कि फ़ैकल्टी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक अध्येतावृत्ति लें या विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अध्ययन छुट्टी।

- **आरक्षणः** विश्वविद्यालय/कालेज को आबंटित कुल अध्येतावृत्तियों में से 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत क्रमश ाः अजा/अजजा/ओ.बी.सी. (गैर–संपन्न वर्ग) प्रत्याशियों के लिए आरक्षित होंगी।

पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। औचित्य तथा मामले के गुणागुण के आधार पर उसे एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। **एम.फिल. कार्यक्रम के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति एक वर्ष के लिए होगी और ज़रूरी तथा न्यायसंगत होने पर छह महीने बढ़ाई जा सकती है।**

सहायता का स्वरूप :

आकस्मिकता अनुदान

अध्यापक अध्येता अधिकतम रु. 15,000/– प्रति वर्ष तक वास्तविक आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा। आकस्मिकता अनुदान का लेखा और सामान्य निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यू.जी.सी.के ब्यूरो को भेजा जाए। प्रलेख रजिस्ट्रार/विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष/संबंधित कालेज के प्रिंसिपल द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित हों जहाँ अध्यापक अध्येता अनुसंधान कार्य कर रहा है। अध्यापक अध्येतावृत्ति की स्कीम के अंतर्गत छुट्टी और आकस्मिकता अनुदान के उपयोग के नियम संलग्न हैं।

यात्रा भत्ता

यदि विश्वविद्यालय (मूल संस्था) और अनुसंधान केंद्र के बीच दूरी बीस किलोमीटर से अधिक हो और अनुसंधान केंद्र तथा मूल संस्था एक ही शहर में स्थित न हों तो अध्यापक अध्येता अनुसंधान केंद्र में कार्यारंभ के लिए और अपने अनुदान की अवधि पूरी होने के बाद अपनी मूल संस्था में लौटने के लिए भी विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत अपनी पात्रता के अनुसार गाड़ी या बस के वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति का हक़दार होगा (गी)। इस बारे में किया जाने वाला ख़र्चा आकस्मिकता अनुदान से पूरा किया जाए।

स्थानापन्न अध्यापक का वेतन

अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए चुने गए अध्यापक के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त स्थानापन्न अध्यापक के वेतन की प्रतिपूर्ति यू.जी.सी.द्वारा की जाएगी। विश्वविद्यालय/कालेज यू.जी.सी.की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानापन्न अध्यापक की नई नियुक्ति लेक्चरर के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन मान पर करेगा। यदि स्थानापन्न अध्यापक की नियुक्ति लेक्चरर के न्यूनतम वेतनमान से उच्च वेतनमान में की जाए तो स्थानापन्न अध्यापक के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान यू.जी.सी.द्वारा न्यूनतम वेतनमान तक सीमित रखा जाएगा और शेष राशि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेज द्वारा या संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की

जाएगी। यदि अध्यापक अध्येता द्वारा खाली किए गए पद को स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाए, तो उस स्थानापन्न के वेतन की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। स्थानापन्न अध्यापक की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाए। यदि स्थानापन्न अध्यापक अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाए तो आयोग उसका वेतन नहीं देगा, जब तक उसके लिए ठोस कारण न हों। स्थानापन्न अध्यापक वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। अध्यापक अध्येता की बढ़ी हुई अवधि के लिए भी स्थानापन्न अध्यापक वेतन का हक़दार होगा।

विश्वविद्यालय/कालेज को स्थनापन्न अध्यापक के वेतन के लिए अनुदान का भुगतान तभी किया जाएगा जब अध्यापक अध्येता की कार्यारंभ रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, स्थानापन्न अध्यापक के बारे में निम्नलिखित जानकारी के साथ :

i) स्थानापन्न अध्यापक का नाम;

ii) जन्मतिथि;

iii) अर्हताएँ;

iv) अनुभव;

v) कार्यारंभ की तिथि;

vi) अनुमोदित वेतनमान में प्रति माह देय वेतन का ब्योरा, भत्तों सहित;

vii) अध्येतावृत्ति की अवधि के अंत तक देय राशि;

viii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/कालेज के प्रिंसिपल से प्रमाणपत्र कि स्थानापन्न की नियुक्ति विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है; और

ix) स्थानापन्न की नियुक्ति के बारे में संबंधक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का विशिष्ट अनुमोदन पत्र।

यदि शुरू में स्थानापन्न को नियुक्त करना संभव न हो, या, यदि स्थानापन्न की नियुक्ति में विलंब हो तो **रु. 250/–** प्रति लेक्चर के मानदेय के आधार पर लेक्चरों की व्यवस्था कर ली जाए, किंतु रु. 10,000/– प्रति माह से अधिक नहीं। स्थानापन्न अध्यापक की शीघ्र नियुक्ति के लिए हर प्रयास किया जाए।

स्कीम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

'फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम' के अंतर्गत अध्यापक अध्येतावृत्ति के आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित चयन समिति द्वारा उसकी सिफ़ारिश न की जाए :

- विश्वविद्यालय के कुलपति का नामिती।
- संबंधित विषय का विभागाध्यक्ष/कोई वरिष्ठ अध्यापक।

- संबंधक विश्वविद्यालय का एक नामिती, अच्छा हो कि कालेज विकास परिषद का निदेशक/विश्वविद्यालय के मामले में डीन।
- एक विषय विशेषज्ञ, संबंधित संस्था से भिन्न किसी अन्य शिक्षण विभाग से।
- अजा/अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), अल्पसंख्याक वर्ग, अल्पसंख्यक व्यक्ति (नॉन क्रीमी लेयर) के प्रत्याशियों के चुनाव के मामले में, एक अजा/अजजा व्यक्ति, अच्छा हो कि विश्वविद्यालय में कोई शिक्षाविद्, भी मौजूद होना चाहिए।

चयन समिति निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा **संलग्नक–XV** में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की संवीक्षा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आवेदक अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हैं। इस आशय का एक प्रमाणपत्र चयन समिति के कार्यवृत्त में दिया जाएगा जिस पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

चयन समिति अध्यापक अध्येतावृत्तियाँ देने के लिए योग्यता के क्रम में अध्यापकों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी। पैनल तैयार करते समय अध्यापकों को विभिन्न विषयों से चुनने का ध्यान रखा जाए। क्रमशः मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और विज्ञानों के लिए अलग–अलग पैनल अच्छे रहेंगे। पैनल में शामिल किए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या स्थायी अध्यापकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हों और जिनके पास एम.फिल. और/या पीएच.डी. की डिग्री न हो। यदि किसी विश्वविद्यालय में स्थायी अध्यापकों के 20 प्रतिशत से कम ही पात्रता की शर्तें पूरी करते हों तो उनमें से कुछ या सभी पर अध्यापक अध्येतावृत्ति देने के लिए विचार किया जाए।

यू.जी.सी.द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

राज्य विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालय/केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यापक अध्येतावृत्तियाँ प्रदान किए जाने वाले अध्यापकों और हर मामले में अध्येतावृत्ति की अवधि की सूचना यू. जी.सी.के संबंधित ब्यूरो को देंगे और अध्यापक अध्येतावृत्ति के अनुदान का मोचन भी करेंगे।

यू.जी.सी.द्वारा अनुदान के मोचन की प्रक्रिया

अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए पहले वर्ष के आकस्मिक व्यय का अनुदान अध्यापक अध्येतावृत्ति के अनुसंधान केंद्र/अनुसंधान के स्थान को, संस्था के रजिस्ट्रार/अनुसंधान गाइड/प्रिंसिपल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित कार्यारंभ रिपोर्ट की प्राप्ति पर दिया जाएगा। दूसरे वर्ष का आकस्मिक अनुदान संस्था के रजिस्ट्रार/अनुसंधान गाइड/ प्रिंसिपल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पहली किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र और दूसरे वर्ष के लिए व्यय का मद–वार विवरण प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

स्थानापन्न अध्यापक (यदि नियुक्त किया गया हो) के वेतन के लिए अनुदान, माह–वार विस्तृत वेतन विवरण प्राप्त होने पर उस विश्वविद्यालय को दिया जाएगा, जहाँ अध्यापक अध्येता अपनी अध्येतावृत्ति के कार्यारंभ से तत्काल पूर्व काम करता था (मूल संस्था)।

स्कीम की प्रगति को मॉनिटर करने की प्रक्रिया

अध्यापक अध्येता का पर्यवेक्षक / गाइड, उस अवधि के मध्य–माह में जिसके लिए अध्येतावृत्ति दी गई है, 'प्रगति रिपोर्ट' अवश्य दे। पर्यवेक्षक / गाइड द्वारा दी गई प्रतिकूल रिपोर्ट की स्थिति में यू.जी.सी.द्वारा अध्यापक अध्येता की अध्येतावृत्ति वापस ली जा सकती है।

अध्यापक अध्येता को उसी विश्वविद्यालय में एम.फिल. करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें वह नियुक्त है, बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय संबंधित विषय में एम.फिल, पाठ्यक्रम चलाता हो। इसी प्रकार, अध्यापक अध्येता को उसी विश्वविद्यालय / कालेज में पीएच. डी. के लिए अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है जहाँ वह नियुक्त है बशर्ते कि विश्वविद्यालय / कालेज में संबंधित विषय में स्नातकात्तर अध्यापन होता हो और अनुसंधान करने के लिए यथेष्ट सुविधाएँ हों।

यदि कोई अध्यापक अध्येता पीएच.डी./एम.फिल. का अपना कार्यक्रम पूरा न कर पाए और उसे बीच में ही छोड़ दे तो उसे अपनी अध्यापक अध्येतावृत्ति के दौरान यू.जी.सी. द्वारा उसे दी गई सारी राशि (आकस्मिकता अनुदान+अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान स्थानापन्न अध्यापक को दिया गया वेतन) लौटानी पड़ेगी।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

विश्वविद्यालय हर वर्ष सामान्य निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में यू.जी.सी.को व्यय विवरण और भौतिक निष्पादन की प्रगति रिपोर्ट अवश्य भेजे।

13. समान अवसर कोष्ठ

वंचित समूहों को सीखने के लिए और मुख्य धारा में स्वयं अपने लिए स्थान बनाने पर ज़ोर देना समान अवसर कोष्ठ का काम होगा जो अजा/अजजा/ओ.बी.सी. (गैर–संपन्न वर्ग) / अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण की विशिष्ट स्कीम चलाएगा ताकि उनकी नियोज्यता तथा सफलता में वृद्धि हो सके। इस स्कीम के अंतर्गत समान अवसर कोष्ठ का कार्यालय स्थापित करने के लिए रु. 2.00 लाख का एकबारगी अनुदान दिया जा सकता है।

14. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों के लिए अनुशिक्षण योजनाएँ

परिचय

भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पहचान अत्यंत दलित और उत्पीड़ित समूहों के रूप में की गई है। भारत की कुल आबादी में उनकी संख्या क्रमशः 15 और 7.5 प्रतिशत के क़रीब है। स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से, इन लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सभी संवैधानिक प्रावधानों और यू.जी.सी.द्वारा किए गए उपायों के

बावजूद,
स्वतंत्रता के 50 से अधिक वर्षों बाद भी अजा/अजजा के लिए विश्वविद्यालयों में आरक्षण की स्थिति अभीष्ट स्तर से बहुत नीचे है। आयोग विभिन्न विशेष स्कीमों के माध्यम से समाज के अल्प–सुविधाप्राप्त वर्गों की सामाजिक सामानता और सामाजिक–आर्थिक प्रगति की दिशा में योगदान करता रहा है।

अल्पसंख्यकों की कुशलता और विकास किसी लोकतांत्रिक समाज के सामर्थ्य तथा सफलता के महत्त्वपूर्ण संकेत हैं। लोकतंत्र बहुसंख्यकों का शासन होता है, अतः अल्पसंख्यकों के हितों तथा ज़रूरतों की रक्षा एवं पोषण करना अनिवार्य है, न केवल उनकी संख्या की दृष्टि से बल्कि तरजीह देकर भी, कुछ उलटे भेदभाव के साथ। कई बार अल्पसंख्यकों को ऐसे अधिकार तथा सुविधाएँ देनी पड़ती हैं जो बहुसंख्यकों को उपलब्ध नहीं हैं ताकि उन्हें विकास के उचित स्तर तक लाया जा सके। यू.जी.सी. ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु विशेष आबंटन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया है। कुल मिलाकर वे भारतीय आबादी का लगभग 19 प्रतिशत बनते हैं। उनका शैक्षिक विकास सामान्यतः कम है और विभिन्न राज्यों में तथा शिक्षा के स्तरों में बहुत अंतर है।

आयोग विश्वविद्यालयों को अलग से सहायता देता रहा है (i) यू.जी. तथा पी.जी. स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण के लिए (ii) सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण (iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को एन.ई.टी के लिए अनुशिक्षण। आयोग ने इस स्कीम का विलय विश्वविद्यालयों की सामान्य विकास सहायता स्कीम के साथ करने का निर्णय लिया है और इस घटक के लिए सहायता सामान्य विकास सहायता की सीमा से अतिरिक्त होगी।

पात्रता

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को उपलब्ध होगी जो यू.जी.सी.अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) की परिधि में आते हैं और उसकी धारा 12 (ख) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता के लिए उन संस्थाओं पर विचार किया जाएगा जिनके पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र काफ़ी संख्या में हैं। आर्थिक दृष्टि से ग़रीब पृष्ठभूमि वाले सामान्य प्रत्याशियों को भी इन अनुशिक्षण कक्षाओं में अनुमति दी जा सकती है। यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो ओ. बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) और ग़रीब सामान्य प्रत्याशियों का प्रतिशत 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

स्कीमों के उद्देश्य

क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण के लिए स्कीम

पूर्वस्नातक और/या स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी अनुशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य है :

क. विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक कुशलता और भाषायी प्रवीणता में सुधार करना।

ख. आधारभूत विषयों की समझ के स्तर को ऊपर उठाना ताकि आगे शैक्षिक कार्य के लिए मज़बूत नींव बन सके।

ग. उनके ज्ञान, कुशलताओं तथा प्रवृत्तियों को ऐसे विषयों में सुदृढ़ करना जहाँ मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकें और प्रयोगशाला के क्रियाकलाप निहित हों, ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया आवश्यक दिशानिर्देश और परीक्षण छात्रों को उस स्तर तक उठने के योग्य बनाए जो कुशलतापूर्वक उच्च शिक्षा के अध्ययन में ज़रूरी है और उनकी विफलता तथा पढ़ाई छोड़ देने की दर में कमी आए।

घ. ऐसे छात्रों को क्षमता निर्माण के लिए कैरियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना जिन्हें ऐसे परामर्श की ज़रूरत हो।

ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण की स्कीम

सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण स्कीम आयोजित करने का उद्देश्य है :

i केंद्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं में वर्ग 'क', 'ख' तथा 'ग' में और निजी क्षेत्र में समतुल्य पदों पर उपयोगी नौकरी लेने के लिए छात्रों को तैयार करना।

ii छात्रों को आई.ए.एस. राज्य लोक सेवाओं, बैंक भरती आदि जैसी सेवाओं में चयन के लिए ली जाने वाली विशिष्ट परीक्षाओं के अनुकूल बनाना।

iii किसी प्रतियोगिता परीक्षा–विशेष की विशिष्ट अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना।

विश्वविद्यालय अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रोज़गार सूचना कोष्ठ विकसित कर सकता है।

ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रत्याशियों को लेक्चररशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) या राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.) के लिए तैयार करने हेतु अनुशिक्षण की स्कीम

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रत्याशियों को एन.ई.टी.

या एस.ई.टी. में बैठने के लिए तैयार किया जाए ताकि विश्वविद्यालय तंत्र में लेक्चरर के रूप में चयन के लिए प्रत्याशियों की काफ़ी संख्या मिल सके।

स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप

संस्थाएँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओ.बी.सी. (ग़ैर–संपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की भरती की संख्या के अनुसार स्कीम के एक या अधिक घटकों के लिए आवेदन कर सकती हैं। यदि किसी कक्षा विशेष में छात्रों की संख्या अधिक हो तो अतिरिक्त सेक्शन जोड़ लिए जाएँ। वित्तीय सहायता निम्नलिखित मदों के लिए उपलब्ध है :

अनावर्ती मदें : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान हर स्कीम के लिए निम्नलिखित मदों के लिए रु. 5.00 लाख तक ''एकबारगी'' अनुदान :

1. पुस्तकें और पत्रिकाएँ
2. दृश्य–श्रव्य और सिखाने/सीखने के साधन
3. कंप्यूटर, प्रिंटर के साथ
4. फोटोकॉपियर
5. जनरेटर या इनवर्टर
6. भाषा पुस्तकालय
7. कोई अन्य (स्पष्ट किया जाए)

आवर्ती मदें : विश्वविद्यालयों के लिए हर स्कीम के लिए निम्नलिखित मदों पर ख़र्चे के लिए रु. 7.00 लाख :

1. स्कीमों के समन्वयक को मानदेय @ रु. 2000/– प्रति माह
2. अध्यापकों और विद्वानों को पारिश्रमिक*
3. कंप्यूटर के ज्ञान वाला अंशकालिक स्टाफ़ (संविदा के आधार पर) @ रु. 6000 – प्र. मा.
4. अंशकालिक चपरासी/परिचर @ रु. 1000 प्र. मा.
5. आकस्मिक व्यय – रु. 50,000 /– प्रति वर्ष

* सिद्धाँत कक्षाओं के लिए अध्यापकों को रु. 300/– प्रति घंटा प्रति विषय की दर से और स्नातकोत्तर छात्रों / अनुसंधान छात्रों को रु. 200/– प्रति घंटा की दर से पारिश्रमिक दिया जा सकता है और प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए रु. 150/– प्रति घंटा। सामान्यतः फ़ैकल्टी के किसी सदस्य को एक दिन में दो घंटे से अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए।

* तथापि अपवादस्वरूप मामलों में जब विशेष लेक्चर के लिए किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को आमंत्रित किया जाए, तब संस्था के अध्यक्ष के अनुमोदन से रु. 500/– प्रति घंटा की दर से पारिश्रमिक और स्वीकार्य यात्रा भत्ता दिया जा सकता है। भाग लेने वाले अध्यापकों, पी.जी. छात्रों तथा अनुसंधान छात्रों को

पारिश्रमिक का भुगतान नियमित रूप से हर महीने कर दिया जाए, यू.जी.सी.से रुके हुए अनुदान की प्रतीक्षा किए बिना।

आबंटित किए जाने वाले अनुदान की अंतिम राशि निर्भर करेगी स्कीमों की संख्या पर, प्रस्ताव में स्कीमों के लिए भरती किए गए छात्रों की संख्या पर और इन स्कीमों के लिए आवेदकों की सेवा के लिए नियुक्त समिति के निर्णय पर।

अनुशिक्षण कक्षाओं का आयोजन

अजा/अजजा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण की स्कीम विश्वविद्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाए। सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण की स्कीम विश वविद्यालयों द्वारा चलाई जाए। पात्र विश्वविद्यालय उनकी संगतता के आधार पर कोई एक या सभी स्कीमें ले सकता है।

छात्रों का समूहन :

अनुशिक्षण का आयोजन प्रत्याशियों को विभिन्न समूहों में बाँट कर किया जाए। हर प्रश्न पत्र में एक समूह 25 से अधिक प्रत्याशियों का न हो और हर समूह एक फ़ेकल्टी सदस्य के प्रभार में रखा जाए ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके और फ़ेकल्टी के सदस्य सौंपे गए समूह के साथ संपर्क बना सकें और छात्रों की प्रगति को मॉनिटर कर सकें।

फ़ेकल्टी के सदस्यों को लगाना :

विश्वविद्यालय सेवारत प्रेरित अध्यापकों की या विश्वविद्यालय से अथवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों से सेवानिवृत्त फ़ेकल्टी सदस्यों की सेवाएँ ले सकता है जो संबंधित विषयों या प्रश्न पत्रों में पढ़ाने के लिए अपनी सेवा अर्पित करें।

समन्वयक :

उच्च प्रेरणा तथा समर्पण वाले एक वरिष्ठ फ़ेकल्टी सदस्य को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाए। वह विभिन्न समूहों तथा फ़ेकल्टी सदस्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा/गी ताकि अनुशिक्षण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

कक्षाएँ और शिक्षण की विधि

i. नियमित तथा विरत दोनों छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाएँ और अनुशिक्षण देने के लिए प्रत्याशियों का चुनाव किया जाए।

ii. प्रत्याशियों और फ़ेकल्टी सदस्यों की सुविधा के अनुसार अनुशिक्षण कक्षाएँ भिन्न समयों पर आयोजित की जा सकती हैं यथा कार्य दिवसों में, या छुट्टियों में, या अवकाश में। अवकाश का उपयोग अन्य विश्वविद्यालयों से प्रत्याशियों को लेने के

लिए किया जा सकता है। अनुशिक्षण कक्षाओं की समय सारणी कक्षाओं के शुरू में घोषित कर दी जाए।

iii. शिक्षण की विधि कक्षा कार्य, ट्यूटोरियल, काम देने और उसके बाद चर्चा तथा आमने–सामने अंतःक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। प्रत्याशियों को एक–दूसरे की मदद के लिए अध्ययन समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जहाँ कहीं संभव हो, दृश्य–श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए। अधिकाधिक स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा दिया जाए।

iv. 100 अंकों के हर विषय या प्रश्न पत्र के लिए कम से कम 50 घंटे का अध्यापन आयोजित किया जाए। हर 10 घंटे के अध्यापन के बाद परीक्षा ली जाए और मूल्यांकन रिपोर्ट की चर्चा संबंधित छात्र/प्रत्याशी के साथ की जाए।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय प्रत्याशियों के लिए उपस्थिति रजिस्टर रखेगा और परीक्षाओं या अन्य मूल्यांकन के विषय–वार परिणाम भी। 2 से अधिक बार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों / प्रत्याशियों को नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए उचित सलाह दी जाए।

आधारिक संरचना

विश्वविद्यालय अनुशिक्षण कक्षाएँ चलाने के लिए यथेष्ट फर्नीचर, कक्षाओं, पुस्तकालय सुविधाओं, अध्ययन सामग्री तथा अन्य आवश्यक आधारिक संरचना की व्यवस्था स्वयं अपने संसाधनों से करेगा।

यू.जी.सी.88 विषयों में एनईटी आयोजित करता है जिनमें शामिल हैं कला, मानविकी (भाषाओं सहित), सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग और इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान। विज्ञान विषयों में यू.जी.सी.की ओर से एनईटी का आयोजन सीएसआईआर करती है। कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और लेक्चरर के पद के लिए पात्रता के लिए एनईटी का आयोजन वर्ष में दो बार जून तथा दिसंबर में किया जाता है।

विषय, पाठ्यक्रम, मॉडल टेस्ट पेपर आदि के बारे में एनईट से संबंधित विस्तृत जानकारी संयुक्त सचिव, एनईटी प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दक्षिण परिसर, बेनिटो जुआरेज़ मार्ग, नई दिल्ली–21 से प्राप्त की जा सकती है। टेलीफ़ोन सं. 011–2411 5419, फ़ेक्स : 011 – 24112276/ 24115326 या यू.जी.सी.की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर संपर्क करें।

सहायता की अवधि

यह स्कीम केवल ग्यारहवीं योजना की अवधि के लिए ही है और विश्वविद्यालय को सहायता ग्यारहवीं योजना के अंत तक उपलब्ध होगी। कार्यक्रम की निष्पादकता किसी स्थायी समिति या किसी विशेषज्ञ समिति की मदद से मॉनिटर की जाएगी।

मॉनिटरिंग

(क) हर शैक्षिक वर्ष के अंत में, कार्यक्रम का समन्वयक रजिस्ट्रार के माध्यम से हर प्रत्याशी की निष्पादकता दर्शाते हुए एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह भी बताया जाए :

(i) अवधि जिसके लिए अनुशिक्षण का आयोजन किया गया था, कक्षाएँ/पीरियड, और प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने कार्यक्रम में वस्तुतः भाग लिया।

(ii) प्रत्याशियों की संख्या जो परीक्षा में वस्तुतः बैठे।

(iii) हर प्रश्नपत्र में सफल प्रत्याशियों की संख्या और स्कीम के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय के सामने आई समस्याएँ।

(iv) उन्हें कौन–से विषय पढ़ाए गए, शिक्षकों के नाम और उनका विषय।

(v) समन्वयक की समग्र टिप्पणी।

(ख) सभी स्कीमों की निष्पादकता यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा मॉनिटर की जाएगी, उप समितियों का गठन करके केंद्रों के निरीक्षण द्वारा।

सलाहकार समिति

विश्वविद्यालय एक सलाहकार समिति गठित करेगा। कुलपति सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा। उसके अतिरिक्त प्रोफ़ेसर के स्तर के पाँच अन्य सदस्य होंगे, कम से कम एक–एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से। कार्यक्रम का समन्वयक सलाहकार समिति का सदस्य सचिव होगा। आशा की जाती है कि एक वर्ष में समिति की कम से कम दो बैठकें होंगी।

15. विश्वविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ की स्थापना

परिचय

विश्वविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ स्थापित करने की स्कीम इसलिए बनाई गई है कि विश्वविद्यालयों में आने वाले विषमांगी छात्रों की विविध समाजिक–आर्थिक बाधाओं और भौगोलिक पृष्ठभूमियों पर उपयुक्त संस्थागत समर्थन जानकारी द्वारा पहुँच की साम्यता तथा रोज़गार के अवसरों की तुलना में ध्यान दिया जाए। छात्रों के बीच भाषायी भेद तथा सांस्कृतिक अंतर भी वैश्वीकरण व प्रतिस्पर्धी रोज़गार के इस युग में उपयुक्त मार्गदर्शन और समर्थन के लिए ऐसा कोई विधान स्थापित करने की माँग करता है। प्रासंगिक तथा उपगम्य जानकारी की उपलब्धता और उसका उपयोग करने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन के फलस्वरूप कक्षाओं से बाहर बेहतर कैरियर की प्राप्ति हो सकती है और हमारे छात्रों की स्वस्थ प्रगति में मदद मिल सकती है।

हर विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या निवेश महत्त्वपूर्ण होते हैं। पाठ्यक्रमों और विकल्प की स्वतंत्रता के साथ उपलब्ध संयोजनों पर संबंधित जानकारी सामान्यतः सुलभ होती है और समर्थन सेवा के रूप में अनौपचारिक परामर्श दिया जाता है। पारंपरिक सूचना प्रणाली में विवरण पत्रिका की एक प्रति होती है जिसमें हर वर्ष एक नेमी आवृत्ति से आवश्यक जानकारी दी जाती है यथा पाठ्यक्रमों की सूची तथा संयोजन, प्रवेश के नियम, फ़ीस की संरचना, परीक्षा कार्यक्रम आदि। परंतु अब, स्थिति में परिवर्तन के साथ न केवल शैक्षिक विषय और उसके नियम बाज़ार की माँगों के प्रति अभिमुखी हो गए हैं बल्कि उन्हें सामाजिक असमानताओं तथा कैरियर के अवसरों पर भी ध्यान देना पड़ता है जो शिक्षा से मिलते हैं। अब इसमें सक्रिय मार्गदर्शन और सूचना प्रौद्योगिकी को मिलाना है जो तेज़ी से एक ऐसे तंत्र के साथ प्रिंट मीडिया का स्थान ले रही है जो सर्व संबंधित के हित के लिए विस्तृत जानकारी जल्दी से प्राप्त कर सकता है। अब इस समर्थन का संस्थायन ज़रूरी है ताकि छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों की पहुँच तथा व्याप्ति को बढ़ाया जा सके और उन्हें भावी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

इसे क्रियान्वित करने के लिए परामर्श सेवा को औपचारिक रूप देना होगा जो छात्रों को अपनी सामाजिक संस्थाओं तथा ऐकांतिकता से उबरने के योग्य बनाएगा जिनका श्रेय उनकी सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधताओं और भाषायी अवरोधों को दिया जाता है। कोई संस्था अपने छात्रों को जो कैरियर और परामर्श समर्थन देती है, वह उन्हें बेहतर निष्पादन के लिए आश्वस्त करता है। इस प्रकार परामर्श शैक्षिक तथा कैरियर मामलों और अवसरों दोनों को संबोधित करता है। एक सकारात्मक रवैये का विकास एक मूल्य वर्धित सेवा है जो किसी संस्था को उपलब्ध करानी चाहिए। संसाधनों को बाँटने, अवसरों तथा सुविधाओं की उपलब्धता, बाज़ार के स्वरूप के बारे में जानकारी तथा मार्गदर्शन और नियोज्यता पर परामर्श देने की भावना संस्था को अपने छात्रों के लिए एक आधार के निर्माण में मदद कर सकती है। इस अभ्यास के फलस्वरूप उनका सामाजिक–आर्थिक एकीकरण होगा।

कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ काम के संसार के साथ संपर्क स्थापित करने में और उभरते हुए अत्यंत प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक स्वरूपों के संदर्भ में वास्तविकताओं तथा कार्य प्रोफ़ाइलों के सामने कैरियर के अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा। बाज़ार की माँगों के बारे में बोध और व्यक्तिगत प्रत्याशाओं में अंतराल को मनोवैज्ञानिक और आत्मविश्वास निर्माण के उपायों द्वारा पाटा जा सकता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन और परिसर आधारित भेंटवार्ताएँ आम हो गई हैं। इसके लिए भरती करने वाली एजेंसियों के साथ और प्रतिष्ठित फ़र्मों के एचआर कर्मियों के साथ कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ का सक्रिय संपर्क अपेक्षित है। उनसे संस्थागत विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी उपयुक्त प्रत्याशियों की खोज में अधिक स्थल–पर अनुभव दे सकती है। इस काम में संस्थाएँ, सकारात्मक मदद के लिए, अपने भूतपूर्व छात्रों को भी शामिल कर सकती हैं। वे अपनी सामर्थ्य के भीतर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला सकती हैं ताकि छात्रों को उच्च माँग वाले बाज़ार क्षेत्रों से अवगत कराया जा सके और उद्योग–संस्था संपर्क बनाए जा सकें।

उद्देश्य

विश्वविद्यालय में शैक्षिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ, कैरियर तथा परामर्श कोष्ठ को सुविज्ञ और दिलचस्पी लेने वाले अध्यापकों का वितरण स्थल बनना है। उससे छात्रों को कोमल कुशलताएँ तथा संचार क्षमता विकसित करने में मदद करनी है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और ऐड–ऑन या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अंतःकार्य–प्रशिक्षण की कठोरताओं को चुनौती दे सकें। स्वस्थ अंतर और अंतः वैयक्तिक संबंधों के प्रबंधक के रूप में, उसे सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए सामाजिक मूल्यों और स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की क्षमता का विकास करना है। विभिन्न विषयों तथा रुचियों वाले अध्यापकों का एक दल हो सकता है जो इस कल्पना को साकार करने और एक संस्थागत आदेश के रूप में अपने स्वस्थ कार्यों को निपटाने के लिए एक समांगी समूह बना ले।

किसी विश्वविद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श कोष्ठ को सूचना, मार्गदर्शन और परामर्श का संसाधन केंद्र होना चाहिए, मुक्त पहुँच और इन्टरनेट आधारित वैश्विक संयोजकता और व्यावसायिक नियोजनों पर जानकारी के आदान–प्रदान के साथ।

<u>कैरियर तथा परामर्श कोष्ठों के कार्य</u>

क) विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है उनसे संबंधित विभिन्न संस्थाओं तथा फ़र्मों में नौकरी के अवसरों और नियोजनों पर जानकारी एकत्र करना।

ख) स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय संदर्भों में जानकारी का विश्लेषण करना और छात्रों के नियोजन तथा अंतःकार्य–प्रशिक्षण में उसकी प्रासंगिकता तथा उपयोगिता का पता लगाना।

ग) छात्रों को उभरती हुई व्यावसायिक प्रवृत्तियों तथा घटनाओं, नौकरी के स्वरूपों, नेतृत्व की भूमिकाओं, उद्यमशीलता, बाज़ार की ज़रूरतों एवं जोखिमों और राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देने के लिए और कोमल कुशलताओं में प्रशिक्षण देने के लिए संगोष्ठियाँ तथा मार्गदर्शन कार्यशालाएँ आयोजित करना।

घ) अनुशासन, स्वस्थ दृष्टिकोण और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति सकारात्मक रवैये तथा संकीर्ण प्रांतीय प्राथमिकताओं तथा पूर्वग्रहों के समापन को प्रोत्साहित करना।

पात्रता/लक्ष्य समूह

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन विश्वविद्यालयों को उपलब्ध होगी जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के अंतर्गत बनाई गई संस्थाओं की सूची में शामिल हैं और धारा 12 (ख) के अंतर्गत यूजीसी से सहायता लेने के लिए पात्र हैं। आयोग निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा (संलग्नक XVII) पर आवेदन आमंत्रित कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति की मदद से उनकी संवीक्षा करवा सकता है।

स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का स्वरूप और स्तर

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है :

i)	**अनावर्ती रु. 2.00 लाख**	(योजना की पूरी अवधि के लिए इंटरनेट के साथ कंप्यूटर), लेज़र प्रिंटर, फोटोकॉपियर, फ़ेक्स
ii)	**आवर्ती रु. 5.00 लाख प्र. व.**	काउंसलर का वेतन (संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, टीए/डीए, मानदेय का भुगतान, पठन सामग्री, फुटकर व्यय आदि)

टिप्पणी : इस स्कीम के अंतर्गत किसी नियमित शिक्षण या शिक्षकेतर पद के सृजन की या उसके पूर्ण/आंशिक निधीयन की अनुमति नहीं है।

यूजीसी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ सौ प्रतिशत अनावर्ती अनुदान और पहले वर्ष के आवर्ती अनुदान का मोचन कर दिया जाएगा। उसके बाद अनुदान का मोचन उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति और आयोग द्वारा उसके विचार के आधार पर किया जाएगा।

स्कीम की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रिया

हर शैक्षिक वर्ष के अंत में, कोष्ठ का समन्वयक/प्रभारी यूजीसी को रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एक मूल्यांकन रिपोर्ट भेजेगा जिसमें डाटा, की गई प्रगति और कोष्ठ के सामने आई समस्याओं, यदि कोई हों, का समेकित विवरण हो। विश्वविद्यालय हर वर्ष के अंत में यूजीसी को खर्चे का मदवार विवरण संलग्नक XVIII में और लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणत्र संलग्नक XIX में भेजे।

16. भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

क. विशेष शिक्षा में शिक्षक को तैयार करना (टीप्से)
ख. विशष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (हेप्सन)
ग. दृष्टि–बाधित अध्यापक

परिचय

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में कहा गया है कि भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में विश्वविद्यालयों को भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को सशक्त करने की विशेष शिक्षा गतिविधियों में प्रवृत्त होने के लिए समर्थन दे रहा है।

यूजीसी ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष शिक्षा में शिक्षक को तैयार करने (टीप्से) और विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों (भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों) के लिए उच्च शिक्षा (हेप्सन) के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता देने की स्कीम शुरू की थी जो दसवीं योजना के दौरान जारी रही। उच्च शिक्षा संस्थाओं में विशेष शिक्षा कार्यक्रम और भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के लिए आधारिक संरचना भी उपलब्ध कराने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, स्कीम का विस्तार ग्यारहवीं योजना में भी कर दिया गया है। दोनों स्कीमों की विस्तृत जानकारी नीचे दी जा रही है :

क) विशेष शिक्षा में शिक्षक को तैयार करने (टीप्से) की स्कीम

विशेष शिक्षा में शिक्षक को तैयार करने (टीप्से) की स्कीम शिक्षा विभागों की सहायता के लिए उद्दिष्ट है ताकि वे निःशक्तता वाले बच्चों को विशेष और समावेशी दोनों प्रतिवेशों में पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा शिक्षक तैयार करने के कार्यक्रम शुरू कर सकें। स्कीम में बी. एड. तथा एम.एड. डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, निःशक्तता के एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ।

टीप्से के विशिषट उद्देश्य

टीप्से स्कीम के विशिष्ट उद्देष्य नीचे लिखे अनुसार हैं :

विशेष शिक्षा अध्यापक तैयार करने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाली उच्च शिक्षा संस्थाओं में सेवा के लिए अध्यापक शिक्षक तैयार करने के लिए

विश्वविद्यालयों को एम.एड. के विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

पात्रता

बी.एड. और/या एम.एड. स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाली उच्च शिक्षा संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों पर सहायता दी जाएगी :

1. विश्वविद्यालय के विभाग के पास विशेष शिक्षा में संबंधित अध्यापक तैयार करने का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का अनुमोदन होना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय का एक मॉडल स्कूल होना चाहिए जहाँ भिन्नतः समर्थ बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। उसका अपना मॉडल स्कूल न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में काम करने के लिए आसपास के किसी विशेष/एकीकृत स्कूल की स्वीकार्यता लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

3. विश्वविद्यालय के पास बी.एड. स्तर के अध्यापक तैयार करने के पाठ्यक्रम चलाने का कम–से–कम पाँच वर्ष का अनुभव हो।

4. विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से फ़ेकल्टी सदस्यों, इस क्षेत्र में विशषज्ञों और स्वयं भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों से एक विशेषज्ञ समिति गठित की हो। संबंधित स्कीम(मों) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक हो।

5. स्कीम के लिए आवेदन करने वाला विश्वविद्यालय धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत यूजीसी द्वारा अनुमोदित हो।

वित्तीय सहायता

यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित मानकों के अनुसार दी जाएगी :

1. विश्वविद्यालय के विभागों को बी.एड. कार्यक्रम चलाने के लिए एक प्रोफ़ेसर या एक रीडर तथा दो लेक्चररों की, और यदि विश्वविद्यालय न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 30 छात्रों के साथ किसी भी विशिष्ट निःशक्तता क्षेत्र में विशेष शिक्षा में एम.एड. पाठ्यक्रम भी चलाता हो तो एक प्रोफ़ेसर, एक रीडर तथा तीन लेक्चररों की स्वीकृति दी जाएगी। यदि विश्वविद्यालय के विभाग केवल एम.एड. विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के इच्छुक हों, बशर्ते उसका एक घटक/संबद्ध कालेज उसी विशेषज्ञता में बी.एड. विशेष शिक्षा उपलब्ध करा रहा हो तो एक प्रोफ़ेसर, एक रीडर तथा एक लेक्चरर की स्वीकृति दी जाएगी। विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए नियुक्त स्टाफ़ के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिएँ।

2. यूजीसी की सहायता ग्यारहवीं योजना की अवधि के लिए होगी और क्रियान्वयन करने वाला विश्वविद्यालय वचन देगा कि योजना अवधि के बाद पाठ्यक्रम को राज्य सरकार की सहायता से जारी रखेगा या अपने संसाधनों से पाठ्यक्रम का ख़र्चा पूरा कर लेगा।

3. क्रियान्वयन विश्वविद्यालय विशेष स्कूलों तथा एकीकृत स्कूलों में विशेष शिक्षा की गुणता को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें विस्तार सेवाएँ भी उपलब्ध कराएं।

4. वेतन अनुदान के अतिरिक्त यूजीसी हर संस्थान को अधिकतम रु. 2,00,000/– देगा पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद के लिए, सहयोगी संस्थाओं से सेवाओं के प्रयोग के लिए, अपने विशेष शिक्षा अध्यापक तैयार करने के पाठ्यक्रमों के लिए विशेष साधनों तथा उपकरणों के लिए, यदि वह केवल बी.एड. विशेष शिक्षा या एम.एड. विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम चलाता हो और रु. 4,00,000/– की सहायता देगा यदि वह बी.एड. तथा एम.एड. दोनों विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम चलाता हो। परंतु, यह अनुदान विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्टाफ़ की नियुक्ति कर लिए जाने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा।

5. संस्थान को अनुदान का सातत्य यूजीसी द्वारा किए गए मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान संतोषजनक निष्पादन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

6. प्रोफ़ॉर्मा क

1. विश्वविद्यालय का नाम और पता

2. स्थापन की तिथि

3. क्या संस्था यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अंतर्गत आती है ।

4. विश्वविद्यालय द्वारा इस समय चलाए जा रहे अध्यापक तैयार करने के पाठ्यक्रम

5. विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम, यदि कोई हों।

6. क्या विश्वविद्यालय विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त \

7. पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए यूजीसी से सहायता माँगी गई है

8. पाठ्यक्रम में कितने छात्रों को प्रवेशा दिया जाएगा \

9. नया पाठ्यक्रम चलाने के लिए कितने स्टाफ़ की आवश्यकता होगी ?

10. क्या विश्वविद्यालय भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों या स्कूलों या दोनों को कोई विस्तार सेवाएँ उपलब्ध कराता है ?

11. विश्वविद्यालय का संक्षिप्त इतिवृत्त

12. पाठ्यक्रम का वार्षिक ख़र्चा (आवर्ती और अनावर्ती)

13. विश्वविद्यालय से वचनबद्धता कि ग्यारहवीं योजना की अवधि पूरी हो जाने के बाद पाठ्यक्रम का ख़र्चा वहन करेगा

तिथि विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

ख) विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (हेप्सन) स्कीम

हेप्सन स्कीम मूलतः उच्च शिक्षा संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों सहित, भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अनुभवों को समृद्ध करने के लिए एक वातावरण बनाने के लिए उद्दिष्ट है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की स्थूल कोटियाँ हैं : भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहुँच में सुधार पर लक्षित सुविधाओं का निर्माण करना, पढ़ाई को समृद्ध करने के लिए उपस्कर की ख़रीद आदि।

हेप्सन के विशिष्ट उद्देश्य

हेप्सन स्कीम के विशिष्ट उद्देश्य नीचे लिखे अनुसार हैं :

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं में भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।

2. उच्च शिक्षा के अधिकारियों के बीच भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

3. उच्च शिक्षा संस्थाओं को भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को पहुँच उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं से लैस करना।

4. उच्च शिक्षा संस्थाओं में विशेष साधन उपलब्ध कराना जो भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाएँगे।

5. भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की उच्च शिक्षा से संबंधित सभी वर्तमान और भावी कानूनों तथा नीतियों के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

पात्रता

हेप्सन स्कीम के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायता तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :

1. विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में कम–से–कम 10 निःशक्त व्यक्तियों को भरती किया हो, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और चलने की अशक्तता आदि वाले व्यक्तियों सहित। निःशक्तता की परिभाषाएँ 'निःशक्तता वाले व्यक्ति अधिनियम' 1995 के अनुसार हैं।

2. स्कीम के लिए आवेदन करने वाला विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा धारा 2(च) तथा 12(ख) के अंतर्गत अनुमोदित हो।

3. विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के फ़ेकल्टी के सदस्यों, क्षेत्र में विशषज्ञों और स्वयं भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को लेकर एक विशेषज्ञ समिति गठित की हो। संबंधित स्कीम(मों) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए समिति की वर्ष में कम–से–कम एक बैठक हो।

सुविधाओं और वित्तीय सहायता का प्रावधान

हेप्सन स्कीम के तीन घटक हैं जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा हैः

घटक 1

भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के लिए समर्थक यूनिटों की स्थापना

उच्च शिक्षा तंत्र में जागरूकता विकसित करने और भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को आवश्यक मार्गदर्शन तथा परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी, देश में विश्वविद्यालयों में संसाधन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें समर्थक यूनिट कहा जाएगा। इन समर्थक यूनिटों के कार्य होंगे :

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को प्रवेश की सुविधा दिलाना;

2. भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को मार्गदर्शन और परामर्श देना;

3. भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की ज़रूरतों और उनकी शिक्षा से संबंधित अन्य सामान्य मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और

4. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भी भिन्नतः समर्थ स्नातकों को सफल रोज़गार प्राप्त करने में मदद करना।

विशेष यूनिट का समन्वय संस्था के अध्यक्ष द्वारा नामित फ़ेकल्टी का एक सदस्य करेगा। वह एक अवैतनिक समन्वयक के रूप में काम करेगा/गी जिसके लिए उसे रु. 4000/– प्रति माह का नाममात्र का मानदेय दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की फ़ेकल्टी के सदस्यों में से समर्थक यूनिट के लिए एक अवैतनिक परामर्शदाता–एवं–स्थापन अधिकारी नियुक्त करने का भी प्रावधान है और उसे रु. 3000/– प्रति माह का नाममात्र का मानदेय दिया जाएगा। मानदेय का भुगतान कार्यारंभ की तिथि से किया जाएगा।

समन्वयक और स्थापन अधिकारी जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सत्र आदि आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों की सेवाएँ ले सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए रु. 4,000/– प्रति माह का प्रावधान उपलब्ध होगा। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से कुशल एवं स्वतंत्र काम करने के लिए यूनिट के पास सामान्य प्रशासन, स्टेशनरी, फुटकर व्यय आदि के लिए रु. 30,000/–

प्रति वर्ष का बजट प्रावधान भी होगा। विश्वविद्यालय के भीतर और विश्वविद्यालय क्षेत्र/ज़िले में अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी निःशक्तताओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में भी समर्थक यूनिट को शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए यूजीसी द्वारा रु. 40,000/– प्रति यूनिट प्रति वर्ष का बजट प्रावधान किया जाएगा। समर्थक यूनिट के लिए सहायता लेने वाली उच्च शिक्षा संस्था को इस यूनिट के लिए यथेष्ट स्थान उपलब्ध कराना चाहिए।

समर्थक यूनिट के मुख्य कार्य नीचे लिखे अनुसार होंगे :

क. भिन्नतः समर्थ छात्रों को परामर्श देना कि वे उच्च शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं।

ख. खुले कोटे के माध्यम से और उनके लिए आरक्षण के माध्यम से भी यथासंभव अधिकतम भिन्नतः समर्थ छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करना।

ग. भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों से संबंधित फ़ीस में रियायत, परीक्षा प्रक्रिया, आरक्षण नीतियों आदि के बारे में आदेश एकत्र करना।

घ. उच्च शिक्षा संस्थाओं में भरती भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की शैक्षिक ज़रूरतों का आकलन करना ताकि प्राप्त किए जाने वाले सहायक साधनों के प्रकार तय किए जा सकें।

ङ. संस्था के अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना कि भिन्नतः समर्थ छात्रों के मामले में अध्यापन के किन दृष्टिकोणों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं आदि को ध्यान में रखें।

च. भिन्नतः समर्थ छात्रों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना ओर अपने अध्ययन के बाद जब वे चाहें, उन्हें उपयुक्त रोज़गार लेने में मदद करना।

छ. संस्था में और पड़ोस में भी निःशक्तता से संबंधित महत्त्वपूर्ण दिवस मनाना यथा विश्व निःशक्त दिवस, व्हाइट केन डे आदि, ताकि भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

ज. हेप्सन स्कीम के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्था द्वारा प्राप्त किए गए विशेष सहायक साधनों का रखरखाव सुनिश्चित करना और भिन्नतः समर्थ लोगों

को अपने सीखने के अनुभव समृद्ध करने के लिए उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

झ. उच्च शिक्षा संस्था को स्वीकृत हेप्सन स्कीम द्वारा लाभ उठाने वाले भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के व्यक्तिवृत्तों के साथ वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना।

भिन्नतः समर्थ लोगों के प्रति समर्थक यूनिट की सेवाएँ समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ टीम समय–समय पर उसके काम–काज का मूल्यांकन करेगी।

घटक 2

भिन्नत : समर्थ व्यक्तियों को पहुँच उपलब्ध कराना

ऐसा महसूस किया गया है कि भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को अपनी गतिशीलता और स्वतंत्र कामकाज के लिए परिवेश में विशेष व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है। यह भी तथ्य है कि अनके संस्थाओं के वास्तुशिल्पीय अवरोध होते हैं जो निःशक्त व्यक्तियों के दिन–प्रतिदिन के काम में कठिनाई पैदा करते हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों से आशा की जाती है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार पहुँच से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि सभी वर्तमान संरचनाएँ और उनके परिसर में भविष्य की निर्माण परियोजनाएँ भी निःशक्तों के अनुकूल बनाई जाएँ।

संस्थाओं को चाहिए कि विशेष सुविधाएँ बनाएँ यथा ढलानें, रेलिंग तथा विशेष शौचालय और भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार अन्य आवश्यक परिवर्तन करें। इस उद्देश्य के लिए यूजीसी योजना की अवधि के दौरान प्रति विश्वविद्यालय रु. 10 लाख तक का एकबारगी अनुदान देगा। निर्माण प्लान निःशक्तता से संबंधित पहुँच के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से ध्यान दें। निर्माण और परिवेश को निःशक्तों के अनुकूल बनाने के मामले में मुख्य निःशक्तता आयुक्त, भारत सरकार (वेबसाइट : www.ccdisabilities.nic.in) के कार्यालय द्वारा पहुँच पर निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

घटक 3

भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के लिए शैक्षिक सेवाओं की वृद्धि के लिए विशेष उपस्कर उपलब्ध कराना

भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों को अपने दिन–प्रतिदिन के काम–काज के लिए विशेष साधनों तथा उपकरणों की जरूरत होती है। ये साधन सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इन स्कीमों के माध्यम से सहायक साधन प्राप्त करने के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्था को उच्च शिक्षा के लिए भरती भिन्नतः समर्थ छात्रों की मदद के लिए सीखने और मूल्यांकन के विशेष साधनों की भी ज़रूरत पड़ सकती है।

संस्था में साधनों की उपलब्धता जैसे स्क्रीन वाची साफ़्टवेयर वाले कंप्यूटर, न्यून–दृष्टि साधन, स्कैनर, गतिशीलता साधन आदि, भिन्नतः समर्थ व्यक्तियों के शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध करेगी। अतः, विश्वविद्यालयों को ऐसे साधन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान यूजीसी प्रति विश्वविद्यालय/कॉलेज रु. 8 लाख तक का एकबारगी तदर्थ अनुदान देगा।

स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें

1. विशिष्ट परियोजना के लिए आवेदन की तीन प्रतियाँ निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में भेजी जाएँ (प्रोफ़ॉर्मा ख)

2. हर प्रस्ताव क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित और संस्तुत हो।

प्रोफ़ॉर्मा – ख

1. विश्वविद्यालय का नाम और पता

2. स्थापन का वर्ष

3. क्या विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अंतर्गत आता है \

4. निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए इस समय विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का स्वरूप

5. इस समय विश्वविद्यालय में कितने निःशक्त व्यक्ति भरती हैं ?

6. हेप्सन के घटक(कों) के नाम जिनके लिए यूजीसी से सहायता माँगी जा रही है

7. स्कीम को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा ?

8. क्या प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजा गया है ?

9. विश्वविद्यालय का संक्षिप्त इतिवृत्त

10. विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची

11. पाठ्यक्रम का वार्षिक ख़र्चा (आवर्ती और अनावर्ती)

12. प्रस्ताव के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

तिथि

अध्यक्ष / विश्वविद्यालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (सील के साथ)

ग) दृष्टि–बाधित अध्यापक

परिचय

यह स्कीम दृष्टि–बाधित स्थायी अध्यापकों की सहायता के लिए बनाई गई है ताकि वे पाठक की मदद से और पढ़ाने तथा पढ़ने के साधनों का प्रयोग करके अध्यापन तथा अनुसंधान को जारी रख सकें; इसके लिए उन्हें 'पाठक का भत्ता' और ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि खरीदने के लिए निधि दी जाती है।

उद्देश्य

पढ़ाने, पढ़ने तथा अनुसंधान के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करके आत्म निर्भरता प्राप्त करने में दृश्टि–बाधित स्थायी अध्यापकों की सहायता के लिए सुविधा उपलब्ध कराना।

पात्रता/लक्ष्य

इस स्कीम कें अंतर्गत उन विश्वविद्यालयों में काम करने वाले दृष्टि–बाधित सभी अध्यापक आते हैं जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत शामिल हैं।

सहायता का स्वरूप

आयोग दृष्टि–बाधित स्थायी अध्यापकों के भत्ते की रु. 18,000/– प्र.व. की वर्तमान सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इस राशि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है :

(क) पाठक को भुगतान
(ख) ब्रेल पुस्तकों/सामग्री की खरीद
(ग) रिकार्ड की हुई सामग्री की ख़रीद
(घ) अनुसंधान, अध्यापन ओर सीखने के लिए कोई अन्य संबंधित/अपेक्षित सामग्री/उपस्कर।

पाठक को देय राशि रु. 50/– प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित वास्तविक बिलों की प्राप्ति पर और पाठक द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि की प्राप्ति पर, इस राशि की प्रतिपूर्ति दृष्टि–बाधित आध्यपकों को कर देगा। योजना अवधि के साथ स्कीम समाप्त हो जाएगी।

स्कीम के लिए आवदेन करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालयों के संबंध में आवेदन यूजीसी के मुख्य कार्यालय को भेजे जाएँ। विश्वविद्यालय अपनी संस्था में सभी दृष्टि–बाधित अध्यापकों की एक समेकित सूची बना ले और अनुदान की पहली किस्त के लिए उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दे।

यूजीसी वार्षिक समीक्षा करेगा।

संलग्नक – I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान किसी निर्माण परियोजना के अनुमोदन के लिए अपेक्षित प्रलेख

1. **विश्वविद्यालय का नाम :**
   निर्माण परियोजना का नाम :

लागत का सार

(क) प्लान में दिखाया गया कुल प्लिन्थ क्षेत्रफल :
(ख) प्लान में दिखाया गया कुल निर्मित क्षेत्रफल :
(ग) लागत प्रति वर्ग मीटर :

क्र.सं.	मद	राशि (रु.)
1.	सिविल कार्य की लागत (लो.नि.वि. दरों की वर्तमान अनुसूची के अनुसार)	.....
2.	आंतरिक जल आपूर्ति और स्वच्छता (यथा * में निर्धारित)	.....
3.	आंतरिक विद्युतीकरण (यथा * में निर्धारित)	.....
4.	बाह्य सेवाएँ @ सिविल लागत का 5%	.....
5.	**कुल राशि**	.....
6.	आकस्मिक व्यय @ उपर्युक्त 5 का 3%	.....
7.	वास्तुकार की फ़ीस (यथा ** में निर्धारित)	.....
8.	निर्माण लिपिक, यदि नियुक्त किया गया हो	.....
9.	फ़र्निचर (यथा * में निर्धारित)	.....
10.	राज्य/केंद्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा लिया गया सेंटेज प्रभार, जिन्हें निर्माण कार्य सौंपा गया था	.....
11.	दीमक–रोधी उपचार का प्रभार, यदि लिया गया हो	.....

कुल अनुमानित लागत

हस्ताक्षर : .....
रजिस्ट्रार
(सील)

हस्ताक्षर : .....
इंजीनियर/वास्तुकार
(सील)

(वास्तुकार के मामले में, वास्तुशिल्प परिषद् के पास पंजीयन सं. दी जाए, उसके पूरे पते के साथ)

*** विभिन्न भवनों के लिए आंतरिक जल आपूर्ति और स्वच्छता, आंतरिक विद्युतीकरण और फ़र्निचर का प्रावधान**

क्र. सं.	भवन का नाम	जल आपूर्ति और स्वच्छता	विद्युतीकरण	फ़र्निचर
1.	छात्रावास	सिविल लागत का 7½ %	सिविल लागत का 10% (पंखों के बिना) सिविल लागत का 12½% (पंखों के साथ)	वास्तविक लागत
2.	आवासीय क्वार्टर	सिविल लागत का 12½%	सिविल लागत का 10% (पंखों के बिना) सिविल लागत का 12½% (पंखों के साथ)	–
3.	कला ब्लॉक	सिविल लागत का 5%	सिविल लागत का 10% (पंखों के बिना) सिविल लागत का 12½% (पंखों के साथ)	सिविल लागत का 10%
4.	पुस्तकालय	सिविल लागत का 5%	सिविल लागत का 15% पंखों के साथ	सिविल लागत का 20%
5.	पुस्तकालय भवन	सिविल लागत का 5%	सिविल लागत का 12½% (पंखों के साथ)	सिविल लागत का 20%
6.	अतिथि गृह	सिविल लागत का 12½%	सिविल लागत का 10% (पंखों के बिना) सिविल लागत का 12½% (पंखों के साथ)	सिविल लागत का 10%

**** वास्तुकार की फ़ीस के लिए प्रावधान**

1. **सिविल लागत का 4%** दिया जाएगा यदि आरेख और आकलन तैयार करने वाला वास्तुकार/इंजीनियर निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण भी करें (विश्वविद्यालय के इंजीनियर की जगह)।

2. **सिविल लागत का 2.6%** दिया जाएगा यदि वास्तुकार/इंजीनियर केवल आरेख और आकलन तैयार करे (विश्वविद्यालय के इंजीनियर की जगह)

3. यदि विश्ववविद्यालय वास्तुकारों की सेवाएँ न ले और आरेख तथा आकलन विश्वविद्यालय के इंजीनियर द्वारा तैयार किए जाएँ तो **सिविल लागत के 1.4%** की राशि दी जाएगी।

2. **विश्वविद्यालय का नाम**

दर अनुरूपता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ..... के प्रस्तावित निर्माण के लिए आकलन, वर्ष ..... के लिए उस प्रदेश की लो.नि.वि. की दरों की वर्तमान अनुसूची पर आधारित हैं।

हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर : .....
रजिस्ट्रार	लो.नि.वि. इंजीनियर / विश्वविद्यालय इंजीनियर
(सील)	(सील)

3 प्रमाणित किया जाता है कि :

(क) प्रस्तावित भवन के ब्लू प्रिंट की दो प्रतियाँ रजिस्ट्रार, यथास्थिति कार्यपालक इंजीनियर / अधीक्षक इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संलग्न हैं।

(ख) भवन के प्लान तथा आकलन निर्माण समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और आयोग द्वारा सुझाए गए मानकों के अनुरूप हैं और दरें उस प्रदेश की सीएसआर के अनुसार हैं।

(ग) जिस ज़मीन पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है, वह विश्वविद्यालय के निर्विवाद स्वामित्व और कब्ज़े में है।

(घ) प्रस्तावित निर्माण विश्वविद्यालय के निर्माण प्रभाग द्वारा / संविदा के आधार पर / लो.नि.वि.द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित किया जाएगा। (जो लागू न हो, काट दें)

(ङ) यूजीसी के अनुदान से ऊपर का ख़र्चा, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से या राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और निधि की कमी के कारण निर्माण में विलम्ब नहीं होगा (राज्य सरकार से प्राप्त आश्वासन की प्रतिलिपि, यदि कोई हो, संलग्न की जाए)।

(च) प्रस्तावित भवन का भार वहन करने के लिए संरचना की संरचनात्मक मज़बूती, यदि उसका निर्माण अब या भविष्य में भूतल के भवन के ऊपर किया जाना हो।

(छ) विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित निर्माण के लिए इससे पहले कोई अनुदान नहीं लिया है।

(ज) परियोजना को समय–बद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा (अवधि बताएँ)।

(झ) निर्माण समिति का गठन और संकल्प, सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, पदनाम सहित (संलग्न किया जाए)।

हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर : .....
इंजीनियर	कुलपति / रजिस्ट्रार
(सील)	(सील)

संलग्नक – I ख

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक ..... के अंतर्गत अनुमोदित ..... का निर्माण ..... को रु. ..... की लागत से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार पूरा हो गया है। स्थल को सही ढंग से खाली कर दिया गया है।

इंजीनियर/वास्तुकार के हस्ताक्षर **रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर**

विश्वविद्यालय की सील

संलग्नक – I ग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(परिसंपत्ति प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः निर्मित/प्राप्त स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों की सूचियाँ निर्धारित फ़ॉर्म में रखी जा रही हैं और अद्यतन की जाती हैं।

रजिस्ट्रार
(सील के साथ)

सरकारी लेखापरीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट

संलग्नक – I घ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आय और व्यय का विवरण

यूजीसी द्वारा पत्र सं. ..... दिनांक ..... के अंतर्गत अनुमोदित ..... के संबंध में आय और व्यय का लेखापरीक्षित विवरण।

आय	व्यय
1. यूजीसी से अनुदान	1. सिविल कार्य की लागत, आकस्मिक व्यय सहित
2. राज्य सरकार से अनुदान	2. जल आपूर्ति और स्वच्छता की व्यवस्था
3. कालेज का योगदान	3. विद्युतीकरण
4. अन्य, यदि कोई हो	4. बाह्य सेवाएँ
	5. वास्तुकार की फ़ीस
	6. फ़र्निचर, यदि कोई हो
योग	

योग :..... योग : .....

रजिस्ट्रार
(सील के साथ)

चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखापरीक्षक
के हस्ताक्षर, सील के साथ

संलग्नक – I ङ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाणपत्र

(समापन प्रलेख के साथ भेजा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक के अंतर्गत ..... के निमित्त स्वीकृत रु. ..... (रुपए .....) के अनुदान का उपयोग आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए कर लिया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले तो आपत्ति की गई राशि को वापस या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार
(सील के साथ)

चार्टर्ड अकाउंटेंट/
सरकारी लेखापरीक्षक

संलग्नक – I च

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

समापन लागत प्रोफ़ॉर्मा

विश्वविद्यालय का नाम .....

स्कीम .....

परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्रफल .....

क्र. सं.	काम का स्वरूप	आकलन का मूल्य	स्वीकृत टेंडर का मूल्य	समापन	आकलन/स्वीकृत टेंडर से समापन लागत में वृद्धि/कमी के लिए कारण
1.	सिविल कार्य (आकलन का मूल्य लो.नि.वि. के अनुमोदन के अनुसार होना चाहिए)				
2.	आंतरिक जल आपूर्ति और स्वच्छता				
3.	आंतरिक विद्युतीकरण				
4.	बाह्य सेवाएँ				
5.	फ़र्निचर				
(i)	वास्तुकार को दी गई फ़ीस (पर्यवेक्षण प्रभार सहित)	योग :			
	कुल समापन लागत :				
(ii)	रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित समापन प्रमाणपत्र संलग्न करें (नमूना अनुलग्न)				

वित्त अधिकारी/ इंजीनियर इंजीनियर/वास्तुकार विश्वविद्यालय

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर (सील के साथ)

संलग्नक – II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

निर्माण परियोजना(ओं) के लिए निधियों के मोचन की प्रगति रिपोर्ट

..... विश्वविद्यालय

1. भवन का नाम

2. स्कीम के अनुमोदन के लिए यूजीसी के स्वीकृति पत्र की संख्या और तिथि

3. अनुमोदित कुल लागत

4. टेंडर की कुल स्वीकृत लागत

5. निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि

6. प्राप्त कुल राशि

7. वस्तुतः किया गया कुल ख़र्च, अर्थात् किए गए काम या प्राप्त आपूर्तियों के लिए दिए गए बिल

8. प्राप्त राशि से शेष, यदि कोई हो

9. अगले तीन/छह महीनों में हो सकने वाले खर्चे के लिए मोचित की जाने वाली अपेक्षित राशि

10. जिस परियोजना में निर्माण कार्य निहित हो, उसके बारे में अब तक किए जा चुके निर्माण का संक्षिप्त विवरण दिया जाए और प्रमाणित किया जाए कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार है।

11. यदि कोई विचलन हो तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए। निर्माण लागत पर उसका प्रभाव विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था और अनुदान के साथ जुड़े निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले, तो आपत्ति की गई राशि को वापस, समायोजित या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

इंजीनियर/वास्तुकार **रजिस्ट्रार**

(विश्वविद्यालय)

टिप्पणी : इसमें दिए गए या दिए जा सकने वाले आदेशों, किए गए वादों से संबंधित कोई राशि या भविष्य में ली जा सकने वाली विशिष्ट मदों के लिए निर्दिष्ट राशि शामिल न की जाए।

संलग्नक – III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शैक्षणिक स्टाफ़ की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ

1.	विश्वविद्यालय का नाम					
2.	विभाग					
3.	ग्यारहवीं योजना अवधि के अंतर्गत अनुमोदित पद	प्रोफ़ेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य	योग
4.	यूजीसी आबंटन/अनुमोदन सं. एफ़. दिनांक सं. एफ़. दिनांक					
5.	कुल अनुमोदित राशि, विश्वविद्यालय के हिस्से के साथ, यदि कोई हो					
6.	शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव					
7.	क्या एनईटी उत्तीर्ण (यदि हाँ तो एनईटी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि)					
8.	योजना के पद पर नियुक्ति से पहले वह किस पद पर था/थी और संस्थान का नाम जहाँ वह काम कर रहा था/रही थी।					
9.	नए पद पर कार्यारंभ की तिथि					
10.	दिए गए वेतन मान में मासिक वेतन का ब्योरा, भत्तों सहित					
11.	वित्तीय वर्ष के अंत तक देय राशि					

12.	दी जाने वाली वेतन वृद्धियों की संख्या, यदि कोई हों	
13.	यदि नियुक्त व्यक्ति उसी विश्वविद्यालय का हो तो परिणामी रिक्ति को भरने के लिए की गई कार्रवाई। यदि नहीं, तो उसका कारण।	
14.	इस आशय का स्पष्ट लिखित आश्वासन दिया जाए कि ग्यारहवीं योजना की समाप्ति अर्थात् 31.3.2012 के बाद विश्वविद्यालय दायित्व ले लेगा।	
15.	जहाँ चुनाव हुआ था, उस चयन समिति का कार्यवृत्त (उसकी प्रतिलिपि)	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से की गई है।

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
(सील के साथ)

संलग्नक – IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान निर्माण परियोजनाओं से भिन्न विकास के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित अनुदानों की दूसरी और परवर्ती किस्त के मोचन के लिए प्रगति रिपोर्ट

1. विश्वविद्यालय का नाम

2. रिपोर्ट किस अवधि की है

3. अनुमोदित मद का नाम

4. यूजीसी के अनुमोदन पत्र की संख्या और तिथि

5. कुल अनुमोदित राशि, विश्वविद्यालय के हिस्से के साथ, यदि कोई हो

6. अनुमोदित राशि का यूजीसी का हिस्सा

7. अब तक वस्तुतः किया गया कुल ख़र्च, किए गए काम या प्राप्त आपूर्तियों के लिए दिए गए बिलों सहित, उस राशि को छोड़कर जिसके लिए आदेश दिए गए हैं या वचनबद्धता की गई है।

8. व्यय का यूजीसी का हिस्सा

9. यूजीसी से प्राप्त राशि

10. विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध शेष राशि
    क) कुल
    ख) यूजीसी के अनुदान से

11. अगले छह महीनों में किए जाने वाले संभावित खर्चे को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि

12. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्कीम के क्रियान्वयन के लिए की गई कार्रवाई और अब तक की प्रगति का संक्षिप्त विवरण। निर्माण परियोजना के मामले में विश्वविद्यालय अलग कागज़ पर अब तक किए गए निर्माण कार्य का संक्षिप्त विवरण देगा और इंजीनियर/वास्तुकार

तथा रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र कि भवन का निर्माण आयोग द्वारा स्वीकृत प्लानों तथा आकलनों के अनुसार किया जा रहा है।

13. प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः निर्मित/प्राप्त स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों की सूचियाँ निर्धारित फ़ॉर्म में रखी जा रही हैं और अद्यतन की जाती हैं।

14. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्तंभ 7 में उल्लिखित रु. ..... की राशि उस उद्देश्य के लिए ख़र्च की गई है जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी और आयोग के पत्र सं. ..... दिनांक ..... में निर्धारित निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार और सभी निबंधनों तथा शर्तों को पूरा कर दिया गया है।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले, तो विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति की गई राशि की वापसी/समायोजन तथा विनियमन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय की सील

संलग्नक – V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना सामान्य विकास के अंतर्गत वर्ष..... के दौरान यात्रा अनुदान के लिए ख़र्चे का विवरण

1 अध्यापकों/वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारियों को विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/परिसंवादों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

नाम और पदनाम	विभाग	सम्मेलन आदि का नाम, तिथियों/ अवधि सहित जिसमें भाग लिया	किया गया कुल ख़र्चा	यात्रा अनुदान में से दी गई राशि	शेष का स्रोत, यदि कोई हो	क्या 3 वर्षों में एक बार अनुदान लिया है

2. स्कीम के अंतर्गत चुने गए व्यक्तिगत अध्यापकों को यात्रा अनुदान

नाम और पदनाम	विभाग	कार्यक्रम का नाम तिथियों/ अवधि सहित जिसमें भाग लिया	किया गया ख़र्चा	यात्रा अनुदान में से दी गई राशि	शेष का स्रोत, यदि कोई हो	स्कीम के अंतर्गत भाग लिए गए पिछले सम्मेलन की तिथि

3 अध्यापकों/प्रशासनिक अधिकारियों/वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों को भारत के भीतर अनुसंधान केंद्रों में जाने और शैक्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

नाम और पदनाम	विभाग	सम्मेलन आदि का नाम, तिथियों/अवधि सहित जिसमें भाग लिया	किया गया ख़र्चा	यात्रा अनुदान में से दी गई राशि	शेष का स्रोत, यदि कोई हो

4 भारत के भीतर अध्यापकों का शैक्षिक विनिमय

आमंत्रित विशेषज्ञ का नाम और पदनाम	विभाग	किया गया ख़र्चा

प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा अनुदान की स्कीम के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु. ..... का ख़र्चा ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों का पालन करते हुए किया गया है और अनुदान के सभी निबंधनों तथा शर्तों को पूरा किया गया है। यदि जाँच या लेखा परीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप, बाद में किसी अनियमितता का पता चले, तो आपत्ति की गई राशि को वापस या समायोजित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक :
हस्ताक्षर
सील

रजिस्ट्रार या वित्त अधिकारी के
विश्वविद्यालय की

संलग्नक – VI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/परिसंवाद/कार्यशलाएँ/अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम/(अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय /राज्य स्तर) आयोजित करने के लिए ख़र्चे का विवरण (जो लागू न हो उसे काट दें/जो संबंधित हो जोड़ लें)

1	कार्यक्रम का नाम :	
2	अवधि : प्रारम्भ होने की तिथि :	 समाप्त होने की तिथि :
3	भाग लेने वालों की संख्या : क) बाह्य ख) स्थानीय ग) योग	
4	निदेशक का नाम :	
5	किए गए ख़र्च की मदें :	
	i) ..... बाहरी भाग लेने वालों/संसाधन व्यक्तियों के लिए भोजन और आवास प्रभार	रु.
	ii) ..... स्थानीय भाग लेने वालों/संसाधन व्यक्तियों का आतिथ्य	रु.
	iii) बाहरी भाग लेने वालों ..... और संसाधन व्यक्तियों ..... आदि को टीए तथा प्रासंगिक प्रभार	रु.
	iv) विदेशी भाग लेने वालों को (यदि कोई हों) डीए	रु.
	v) विदेशी भाग लेने वालों को (यदि कोई हों) आंतरिक यात्रा	रु.
	vi) निदशक और संसाधन व्यक्तियों को मानदेय	रु.
	vii) विविध और आकस्मिक व्यय	रु.
	किया गया कुल ख़र्चा	रु.
	यूजीसी से प्राप्त अनुदान	रु.
	किसी अन्य स्रोत से आय (स्रोत और राशि बताएँ)	रु.

	योग	रु.
	आय	रु.
	व्यय	रु.
	शेष	रु.

प्रमाणित किया जाता है कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ..... के आयोजन पर रु.
..... के अनुदान की तुलना में रु. ..... की राशि खर्च की गई है। यदि जाँच या लेखापरीक्षा के फलस्वरूप कोई अनियमितता विश्वविद्यालय की जानकारी में लाई जाए तो लेखापरीक्षा के नियमों के अनुसार उसे विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम के निदेशक के हस्ताक्षर	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक – VII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वर्ष ..... के लिए अनुसंधान/विद्वद् रचना के प्रकाशन पर, डॉक्टरेट के थीसिस सहित, व्यय का ब्योरेवार विवरण

क्र. सं.	क) थीसिस/ रचना का नाम ख) लेखक का नाम और पदनाम	क) विशेषज्ञों के नाम और पदनाम जिनकी सिफ़ारिश पर प्रकाशन का अनुमोदन किया गया था और ख) अनुमोदन की तिथि	क) प्रकाशन पर कुल अनुमानित लागत ख) अनुमोदित सहायता सब्सिडी ग) पुस्तक की लागत घ) मुद्रित प्रतियों की संख्या	किया गया कुल खर्चा, विशेषज्ञों को दिए गए मानदेय सहित, यदि कोई हो
1.	2.	3.	4.	5.

उन मामलों की संख्या लिखिए जिनमें किसी सहायता का अनुमोदन नहीं किया गया ....

योग : रु. .....

प्रमाणित किया जाता है कि दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसंधान/विद्वद् रचना के प्रकाशन पर, डॉक्टरेट के थीसिस सहित, विश्वविद्यालय द्वारा ऊपर दिए गए ब्योरे के अनुसार रु. ..... का ख़र्चा किया गया था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था। यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में कोई अनियमितता दिखाई दे तो आपत्ति की राशि को वापस या समायोजित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर
विश्वविद्यालय की सील

संलग्नक – VIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय के अतिथि अध्येता/अतिथि प्रोफ़ेसर को स्वीकृत अनुदान का वर्ष .....
के लिए लेखे का वर्ष–वार विवरण

क्र. सं.	अतिथि अध्येता/ अतिथि प्रोफ़ेसर का नाम और पदनाम	जन्म तिथि	दौरे की अवधि, तिथियों सहित	दिए गए मानदेय की राशि	यात्रा और डीए के लिए दी गई राशि	योग

2. हर अतिथि प्रोफ़ेसर/अध्येता के संबंध में विश्वविद्यालय को हुए लाभों की संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्न है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि अतिथि प्रोफ़ेसर/अतिथि अध्येता की स्कीम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए आबंटन में से आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, सीमा का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त ब्योरे के अनुसार रु. ..... (रुपए .....) का ख़र्चा किया गया है। अनुदान के सभी निबंधन और शर्तें पूरी की गई हैं।

4. यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप, बाद में कोई अनियमितता दिखाई दे तो आपत्ति की राशि को वापस या समायोजित या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
विश्वविद्यालय की सील

दिनांक :

संलग्नक – IX

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में दिवस देखभाल केंद्रों के लिए प्रस्ताव भेजने का फ़ॉर्मेट

1.	विश्वविद्यालय का नाम :	.....
2.	विश्वविद्यालय का पता :	.... फ़ोन नं. ..... फ़ेक्स नं. ..... ई–मेल .....
3.	क्या यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) और 12 (ख) के अंतर्गत आता है	(हां/नहीं)
4.	क्या यूजीसी/राज्य सरकार से योजनेतर/योजना अनुदान मिल रहा है (स्पष्ट करें)	.....
5.	दिवस देखभाल केंद्र शुरू करने के लिए औचित्य (ज़रूरी हो तो अलग शीट संलग्न कर लें)	.....
6.	दिवस देखभाल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रस्तावित बच्चों की संख्या	.....
7.	दिवस देखभाल केंद्र के लिए चुना गया स्थान ओर क्षेत्रफल	.....
8.	यूजीसी के मानकों के अनुसार किए गए सुरक्षा के उपायों की सूची	.....
9.	विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र के लिए उपलब्ध कराए गए सहायक का नाम और शैक्षिक अर्हता	.....
10.	केंद्र में बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाएँ	.....

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
(सील के साथ)

संलग्नक – IX–क

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक..... के अंतर्गत ..... के निमित्त ..... को स्वीकृत रु. .... (रुपए .....) के अनुदान का उपयोग आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए कर लिया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था। यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले तो आपत्ति की गई राशि वापस या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार
(सील के साथ)

चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखापरीक्षक

संलग्नक – X

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पिछड़े/ग्रामीण/दूरस्थ/सीमांत क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित फ़ॉर्मेट

1. विश्वविद्यालय का नाम .....

2. विश्वविद्यालय का पता .....
   .....
   फ़ोन नं. .....
   फ़ेक्स नं. .....
   ई–मेल .....

3. विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि
   (लिखित प्रमाण के साथ) : .....

4. क्या विश्वविद्यालय को यूजीसी अधि–
   नियम, 1956 की धारा 2 (च) और
   12 (ख) के अंतर्गत उपयुक्त घोषित
   किया गया है .....

5. यदि हाँ तो पात्रता की तिथि : .....
   (यूजीसी के अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाए)

6. यूजीसी द्वारा किया गया ग्यारहवीं
   योजना का विशेष विकास आबंटन :

7. क्या अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सरकार की अधिसूचना की प्रतिलिपि और ज़िला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र संलग्न करें जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि विश्वविद्यालय इस स्कीम के अंतर्गत किस सीमा तक सहायता का पात्र है .....

8. अपेक्षित मदों का ब्योरा
   (ज़रूरी हो तो अलग शीट जोड़ लें) .....

9. विश्वविद्यालय का ब्योरा :

	पुरुष	प्रतिशत	महिलाएँ	प्रतिशत	योग
छात्रों की भरती					
अध्यापकों की संख्या					

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर सील के साथ)

- ध्यान रहे कि भवनों (आधारिक संरचना परियोजनाओं) के लिए यूजीसी के मानक और शर्तें लागू होंगी। शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में सभी अपेक्षित प्रलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाएँ।

- निर्माण परियोजना(ओं) की प्रगति और किए गए ख़र्चे का ब्योरा भेजने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र, ख़र्चे का विवरण, प्रगति रिपोर्ट के निर्धारित यूजीसी फ़ॉर्मेटों का प्रयोग किया जाए।

संलग्नक – XI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान युवा विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान और पुराने विश्वविद्यालयों के लिए पुनरुज्जीवन अनुदान के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित फ़ॉर्मेट

1. विश्वविद्यालय का नाम : .....

2. विश्वविद्यालय का पता : .....
   .....
   फ़ोन नं. .....फ़ेक्स नं. .....
   ई–मेल .....

3. क्या ग्रामीण / महानगरीय / शहरी / अर्द्ध–शहरी
   कोटि के अंतर्गत आता है : .....

4. विश्वविद्यालय की स्थापना की : .....
   तिथि (लिखित प्रमाण के साथ)

5. क्या यूजीसी अधिनियम, 1956 की
   धारा 2 (च) और 12 (ख) के अंतर्गत
   शामिल है : .....

6. यदि हाँ तो यूजीसी अधिनियम की
   धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल
   होने की तिथि : .....
   (यूजीसी के अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाए)

7. स्कीम के अंतर्गत समर्थन दी जाने .....
   वाली मदों का ब्योरा (ज़रूरी हो
   तो अलग शीट जोड़ लें) :

8. छात्रों और अध्यापकों का ब्योरा :

	पुरुष	प्रतिशत	महिलाएँ	प्रतिशत	योग
छात्रों की भरती					
अध्यापकों की संख्या					

विश्वविद्यालय की वचनबद्धता

1. विश्वविद्यालय वचन देता है कि इस स्कीम के अंतर्गत भेजा जा रहा प्रस्ताव ग्यारहवीं योजना सामान्य विकास स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भेजी जा रही परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय ने किसी अन्य केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार स्रोत से कोई अनुदान नहीं माँगा/लिया है।

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर सील के साथ)

*ध्यान रहे कि भवनों (आधारिक संरचना परियोजनाओं) के लिए यूजीसी के मानक और शर्तें लागू होंगी। इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली निर्माण परियोजनाओं के संबंध में सभी अपेक्षित प्रलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाएँ।

निर्माण परियोजना(ओं) की प्रगति और किए गए खर्चे का ब्योरा भेजने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र, खर्चे का विवरण, प्रगति रिपोर्ट के यूजीसी फ़ॉर्मेटों का प्रयोग किया जाए।

संलग्नक – XII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपकरण रखरखाव सुविधा स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफ़ॉर्मा

1. विश्वविद्यालय का नाम :

2. विश्वविद्यालय का पूरा पता :
   ई–मेल आईडी, फ़ेक्स नं. और फ़ोन नं. सहित

3. विश्वविद्यालय के विभागों की संख्या जिन्हें :
   आईएमएफ़ द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी

4. विश्वविद्यालय के विभागों में इस समय चल रही :
   अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या

5. तकनीकी स्टाफ़ का प्रोफ़ाइल (जो विश्वविद्यालय के विभागों में उपकरण सेवा समर्थन उपलब्ध कराते हैं)

विभाग/केंद्र का नाम	तकनीशियनों या समतुल्यों की सं.	तकनीकी अधिकारियों या समतुल्यों की सं.
कुल सं.		

6 क. क्या आपके विश्वविद्यालय में यूएसआईसी है :

ख. यदि हाँ तो आपके यूएसआईसी का स्तर क्या है :

7. आईएमएफ़ की देखभाल में लाए जाने वाले उपकरणों का प्रोफ़ाइल

क. रु. 1.00 लाख से अधिक लागत वाले उपकरण

उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या

ख. रु. 1.00 लाख से कम लागत वाले उपकरण

उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	संतोाजनक काम कर रहे उपकरणों की संख्या

ग. आईएमएफ़ की देखभाल में लाए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटरों और संबद्ध गैजेटों की संख्या

8. आपके विश्वविद्यालय में आईएमएफ़ स्थापित करने का औचित्य, यदि ज़रूरत हो

9. क्या आपके पास आईएमएफ़ स्थापित करने के लिए कम से कम 20 वर्ग मीटर का स्थान उपलब्ध है?

10. क्या आपके पास इस सुविधा के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा है।

क. अनावर्ती (पहले वर्ष के दौरान एकबारगी अनुदान)

परीक्षण/मापन उपकरण	अपेक्षित राशि (रु.)
योग	

ख. आवर्ती

	व्यय की मद	अपेक्षित राशि (रु.)
	तकनीकी स्टाफ़	
I	उपकरणों के कल–पुर्ज़े	
II	घटक और उपभोज्य	
III	प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	योग	

आवर्ती और अनावर्ती व्यय का कुल योग

18. और कोई जानकारी जो विश्वविद्यालय देना चाहे।

स्थान :
तिथि :

रजिस्ट्रार
(सील)

संलग्नक – XII - क

ख़र्चे की प्रगति रिपोर्ट

विश्वविद्यालय .....
स्वीकृति पत्र की सं. और तिथि .....
..... के दौरान वास्तविक खर्चे का विवरण

अनावर्ती :

क्र. सं.	मद(दें)	यूजीसी द्वारा अनुमोदित अनुदान	यूजीसी द्वारा अब तक मोचित अनुदान	..... (तिथि) को वास्तविक खर्चा	खर्च न हुआ शेष	टिप्पणी
1.	परीक्षण और मापन उपकरण					
2.	पर्सनल कंप्यूटर सॉफ़्टवेअर सहित					
	योग					

आवर्ती :

क्र. सं.	मद(दें)	यूजीसी द्वारा अनुमोदित अनुदान	यूजीसी द्वारा अब तक मोचित अनुदान	..... (तिथि) को वास्तविक खर्चा	खर्च न हुआ शेष	टिप्पणी, विश्वविद्यालय के पास ख़र्च न हुए शेष के लिए औचित्य
1.	स्टाफ़ का वेतन क. तकनीकी अधिकारी–1 @ रु. 10,000/– प्र. मा. ख. तकनीशियन–2 @ रु. 8,000/– प्र. मा.					
2.	उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए अनिवार्य कल पुर्ज़े, घटक, आकस्मिक खर्चा					
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम					

	योग					

<u>प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था और अनुदान के साथ संलग्न निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले तो आपत्ति की राशि को वापस, समायोजित या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर .....
हस्ताक्षर .....
(वित्त अधिकारी)
(रजिस्ट्रार)

.....

टिप्पणी : इसमें दिए गए या दिए जा सकने वाले आदेशों, किए गए वादों से संबंधित कोई राशि या ली जा सकने वाली विशिष्ट मदों के लिए राशि शामिल न की जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(उपयोग प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक..... के अंतर्गत ..... को स्वीकृत रु. ..... (रुपए ....) में से रु. ..... (रुपए .....) के अनुदान का उपयोग आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए कर लिया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान पर अर्जित ब्याज की रु. ..... . की राशि का उपयोग भी विश्वविद्यालय ने कर लिया है।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले तो आपत्ति की गई राशि वापस, समायोजित या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर .....
(रजिस्ट्रार)	**(वित्त अधिकारी)**	**(सी. ए./सरकारी लेखापरीक्षक)**
सील	सील	सील .....

संलग्नक – XIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महिलाओं के छात्रावास के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने का प्रोफ़ॉर्मा

1. कालेज/विश्वविद्यालय का नाम :

2. विश्वविद्यालय में पिछले तीन वर्षों में डिग्री/पीजी और पोस्ट–पीजी पाठ्यक्रम में भरती :

पाठ्यक्रम	पुरुष	प्रतिशत	महिलाएँ	प्रतिशत	योग
यूजी					
पीजी					
एम. फिल.					
अन्य					
योग					

3. छात्रावास प्राप्त छात्रों की कुल संख्या : पुरुष .....
....

महिलाएँ .....
....

4. क) प्रस्तावित छात्रावास में रखे जाने वाले अतिरिक्त छात्रों की संख्या : .....
....

ख) यह पुराने छात्रावास का विस्तार है या नया? (इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत निधि का प्रयोग ग्यारहवीं योजना विकास स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित भवन के निर्माण के लिए न किया जाए) : .....
....

ग) क्या विश्वविद्यालय ने ग्यारहवीं योजना विकास स्कीम के दौरान विचार के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है? इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न करें : .....
....

(जो लागू न हो उसे काट दें)

5. प्रस्तावित निर्माण के लिए ज़रूरत और औचित्य : .....
....
(संक्षिप्त टिप्पणी संलग्न की जाए)

6. अनुदान के मोचन के लिए प्रक्रिया

1. यूजीसी द्वारा निर्धारित अनुदान की सामान्य शर्तें लागू होंगी।

2. अनुदानग्राही संस्था द्वारा भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए सहायता–अनुदान स्वीकृत करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3. ऐसे निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी जो प्रस्तावित परियोजना के प्लान तथा आकलन के लिए आयोग का औपचारिक अनुमोदन लिए बिना शुरू कर दिया गया हो।

8. मॉनिटरिंग की प्रक्रिया

ग्यारहवीं योजना में यूजीसी प्रस्तावित/अनुमोदित निर्माण परियोजनाओं की स्थल–पर जाँच/मॉनिटरिंग के लिए, महिला छात्रावास भवनों सहित, मॉनिटरिंग समिति भेजेगा ताकि निधियों का सही उपयोग, निर्माण की गुणता और परियोजना का समय से समापन सुनिश्चित हो सके।

इस यूनिट के अंतर्गत निर्माण परियोजना(ओं) की प्रगति तथा समापन के बारे में अनेक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं :

क. निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रगति रिपोर्ट

ख. उपयोग प्रमाणपत्र

ग. समापन प्रमाणपत्र

घ. परिसंपत्ति प्रमाणपत्र

ङ. आय और व्यय का विवरण

च. समापन प्रमाणपत्र के साथ उपयोग प्रमाणपत्र

छ. समापन लागत प्रोफ़ॉर्मा

संलग्नक – XIV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

'सामान्य विकास अनुदान ग्यारहवीं योजना अवधि के अंतर्गत महिलाओं के लिए आधारभूत सुविधाएँ' स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने का प्रोफ़ॉर्मा

1. (क) संस्था का नाम .....

(ख) क्या 1956 के यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल है

(ग) क्या पिछड़े/ग्रामीण /अर्ध–शहरी क्षेत्र में पड़ती है .....

(ज़िला मजिस्ट्रेट से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए)

2. विश्वविद्यालय का पता .....

.....

फोन नंबर .....

फ़ेक्स नंबर .....

ई–मेल .....

3. विश्वविद्यालय/संस्था का अपेक्षित ब्योरा :

कोटि	महिलाओं की वास्तविक संख्या (वर्ष की 1 सिंतबर को)	पुरुषों की वास्तविक संख्या (वर्ष की 1 सिंतबर को)	महिलाओं का प्रतिशत
छात्र			
अध्यापक			
शिक्षकेतर स्टाफ़			
योग			

4. विश्वविद्यालय में पहले से मौजूद शौचालयों की संख्या .....
....

5. विश्वविद्यालय में महिला छात्राओं/अध्यापकों/शिक्षकेतर स्टाफ़ के लिए वर्तमान आधारिक संरचना का ब्योरा .....
....
(ज़रूरी हो तो अलग–से शीट जोड़ लें)

6. महिला छात्राओं/फ़ेकल्टी/शिक्षकेतर स्टाफ़ के लिए अतिरिक्त आधारिक संरचना सुविधाएँ माँगने के लिए औचित्य .....
(ज़रूरी हो तो अलग–से शीट जोड़ लें)

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर, सील सहित)

- ध्यान रहे – भवनों (आधारिक संरचना परियोजनाओं) के लिए यूजीसी के मानक और शर्तें लागू होंगी। शुरू की जाने वाली आधारिक संरचना परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव के साथ सभी अपेक्षित प्रलेख संलग्न किए जाएँ।

- निर्माण परियोजना(ओं) की प्रगति और किए गए ख़र्चे का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय का विवरण और प्रगति रिपोर्ट के निर्धारित यूजीसी फ़ॉर्मेटों का प्रयोग किया जाए।

संलग्नक – XV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

'फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम' की स्कीम के अंतर्गत अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन पत्र (फ़ॉर्म को ध्यान से भरा जाए। अधूरे फ़ॉर्म अस्वीकार किए जा सकते हैं)

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में), उपनाम
   को रेखांकित कर दें, श्री / श्रीमती / कुमारी : .....
   ..

2. कालेज का नाम और पता जहाँ
   इस समय नियुक्त हैं : .....

   फोन नं. ..... फ़ेक्स .....
   ई–मेल : .....

3. जन्म तिथि : .....

4. घर का स्थायी पता : .....

5. अध्यापक एम. फिल. करना चाहता है .....
   या पीएच. डी. पूरी करना चाहता है .....

6. सेवा का विवरण :

   i नियुक्ति की तिथि : .....
   ii पुष्टि की तिथि : .....
   (या सरकारी कालेजों के मामले में नियमित आधार पर नियुक्ति)

7. संस्था(ओं) के नाम जहाँ अध्यापक के रूप में काम किया है,
   तिथियों के साथ .....
   और हर जगह सेवा की अवधि .....

8. कोटि

   (i) पुरुष / महिला
   (i) सामान्य / अजा / अजजा / ओबीसी (ग़ैर–संपन्न वर्ग)

9. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य से शुरू करके शैक्षिक अर्हताओं का विवरण (प्रमाणपत्रों की प्रमाणित फोटो–प्रतियाँ संलग्न की जाएँ)

उत्तीर्ण परीक्षा और उत्तीर्ण करने का वर्ष	स्कूल / कालेज / विश्वविद्यालय	विषय	श्रेणी / ग्रेड	अंकों का प्रतिशत / संचयी ग्रेड बिंदु

9. i. कालेज / विश्वविद्यालय का नाम : .....

अनुसंधान केंद्र जहाँ एम.फिल.
में प्रवेश लिया जाएगा / पीएच.डी.
डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य करने
का प्रस्ताव है .....

फोन नं. ..... फ़ेक्स .....
ई–मेल .....

ii. विभाग का नाम : .....
फोन नं. ..... फ़ेक्स .....

9. क. एम.फिल. और / या अनुसंधान का विषय / क्षेत्र : .....
...

ख. अनुसंधान समस्या का नाम : .....
...
(एम.फिल. या पीएच.डी. के लिए प्रस्तावित
अनुसंधान कार्य का 500 शब्द तक का संक्षिप्त
सार, पहुँच की विधि आदि, आवेदन के साथ
विश्वविद्यालय को रिकार्ड के लिए भेजी जाए।
परंतु इसे यूजीसी को भेजने की ज़रूरत नहीं)

पहले से किए जा चुके पीएच. डी. अनुसंधान
कार्य की मात्रा और शेष कार्य को पूरा करने
के लिए अपेक्षित समय : .....
...

10. पर्यवेक्षक का नाम और पदनाम जिसके साथ
अनुसंधान करने का प्रस्ताव है : .....
...

11. एम.फिल. में प्रवेश/पीएच.डी. के लिए पंजीयन की तिथि : .....

...

12. पीएच.डी. डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य से संबंधित कोई अन्य जानकारी, अनुसंधान निबंधों के ब्योरे सहित : .....

हस्ताक्षर .....

नाम स्पष्ट अक्षरों में .....

पदनाम .....

तिथि : .....

स्थान : .....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ :

कि मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम' के अंतर्गत अध्यापक अध्येतावृत्ति से संबंधित नियमों को पढ़ लिया है और, अध्येतावृत्ति मिलने की स्थिति में, मैं अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान अनुसंधान पर्यवेक्षक/गाइड के निर्देश के अंतर्गत विषय पर पूरी तरह लग जाने का वचन देता हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि मैं एम.फिल./पीएच.डी. को सफलतापूर्वक पूरा न कर पाऊँ जिसके लिए मुझे अध्येतावृत्ति दी गई है तो मैं यूजीसी द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के निमित्त दी गई पूरी राशि लौटा दूँगा।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, फ़ॉर्म में दिया गया विवरण सही है।

स्थान ..... हस्ताक्षर

तिथि ..... अध्यापक (आवेदक)

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल
(सील)

विश्वविद्यालय / कालेज का नाम :
पता :

संलग्नक – XV - क

उस कालेज द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

जहाँ अध्यापक नियुक्त है

विश्वविद्यालय एतद् द्वारा अध्यापक की शैक्षिक छुट्टी की अवधि के लिए उसकी पूरी परिलब्धियों की रक्षा करने और जब भी देय हों उसे आवश्यक वेतन वृद्धियाँ भी देने का वचन देता है। विश्वविद्यालय अध्यापक की वरिष्ठता और उसे अब तक मिलने वाले अन्य लाभों की रक्षा करने का भी वचन देता है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक विश्वविद्यालय/कालेज का स्थायी अध्यापक/स्थायी आधार पर नियुक्त है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसी अन्य स्रोत से कोई भी वित्तीय सहायता/अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है (सिवाय कालेज से वेतन भत्तों के)

हस्ताक्षर
(सील)

रजिस्ट्रार
विश्वविद्यालय .....

पता : .....
.....
.....

उस विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र जहाँ अध्यापक एम.फिल./पीएच.डी. के लिए पंजीयित है।
पर्यवेक्षक/संबंधित विषय में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र जहाँ अध्यापक डिग्री के लिए पंजीयित है।

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (अध्यापक अध्येता का नाम) को एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री के निमित्त उच्च अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

पर्यवेक्षक/अनुसंधान गाइड के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय/कालेज का नाम : .....
पता : .....
फोन : .....
फ़ेक्स : .....

ई–मेल : .....

संलग्नक – XV – ख

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

'फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम' के अंतर्गत
अध्यापक अध्येतावृत्ति की कार्यारंभ रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... ने जो ..... विश्वविद्यालय/कालेज ..... में लेक्चरर के रूप में काम कर रहा/रही है, ... को .... में (पूर्वाह्न/अपराह्न) ..... विभाग में कार्यारंभ कर दिया है और अपने अनुसंधान के लिए ..... के मार्गदर्शन में काम कर रहा/रही है। उसे ..... को एम.फिल./पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रविष्ट/पंजीयित कर लिया गया है।

संबंधित अध्यापक ने ..... से ..... विश्वविद्यालय/संस्थान तक ..... श्रेणी में रेल/बस यात्रा पर रु. .... का वास्तविक ख़र्चा किया है। जिस श्रेणी में उसने यात्रा की है, वह विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था के नियमों के अनुसार स्वीकार्य है। मूल संस्था और अनुसंधान केंद्र के बीच दूरी ..... किलोमीटर है। विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था को उसके कार्यारंभ की तिथि से एक वर्ष तक आकस्मिक ख़र्च को पूरा करने के लिए उसके रु. 10,000/– प्रति वर्ष के आकस्मिक अनुदान के निमित्त रु. ..... की राशि की ज़रूरत है।

रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल

1. अध्यापक अध्येता के हस्ताक्षर
   संस्था/(अनुसंधान केंद्र)

2. अनुसंधान गाइड के हस्ताक्षर
   (सील)

3. विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
   (अनुसंधान केंद्र)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

'अध्यापक अध्येता के लिए फ़ेकल्टी सुधार कार्यक्रम' के अंतर्गत छुट्टी और आकस्मिकता अनुदान के उपयोग के लिए नियम

क. आकस्मिकता अनुदान

1. अनुदान का उपयोग उपभोज्य सामग्री, रासायनिक द्रव्यों, उपस्कर, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं पर किया जा सकता है जिसमें शामिल हैं फोटोस्टेट प्रतियाँ तथा माइक्रोफ़िल्में, टंकन, स्टेशनरी, डाक व्यय तथा क्षेत्र कार्य, और अनुसंधान गाइड तथा संबंधित संस्था के अनुमोदन से अनुमोदित अनुसंधान परियोजना के संबंध में अध्यापक अध्येता द्वारा अपेक्षित यात्रा।

2. आकस्मिकता अनुदान निम्नलिखित पर खर्चे के लिए उद्दिष्ट नहीं है : फ़र्निचर, बर्तन, सामान्यतः कालेज/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मदें, और परीक्षा या अन्य फ़ीसों का भुगतान यथा प्रवेश/पंजीयन/ट्यूशन फ़ीस आदि।

3. अनुमोदित क्षेत्र कार्य के लिए तथा अनुसंधान कार्य के संबंध में यात्रा के लिए और अनुसंधान कार्य से संबंधित संगोष्ठियों, परिसंवादों आदि में भाग लेने के लिए अध्यापक अध्येता द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय/कालेजों के शिक्षण स्टाफ़ पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार देय होगा। इस बारे में ख़र्चा आकस्मिकता अनुदान को डेबिट किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जाएगा।

ख. छुट्टी के नियम

अध्यापक अध्येता को अवकाश की अवधि के दौरान, अर्थात् ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश तथा पूजा अवकाश आदि में काम करना पड़ेगा जब पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ खुली रहती हैं। अध्येता अध्यापक से छुट्टी के लिए आवेदन पर संबंधित कालेज/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा उस संस्था के अध्यापकों पर लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार विचार और निर्णय किया जाए जहाँ अध्यापक नियुक्त है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आकस्मिकता अनुदानों के लेखे और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रोफ़ॉर्मा

1. अध्यापक अध्येता का नाम

2. विश्वविद्यालय/कालेज का नाम जहाँ वह नियुक्त है

3. यूजीसी के पत्र की संख्या तथा तिथि जिसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई थी

4. आकस्मिकता अनुदान का लेखा किस अवधि से संबंधित है

5. **हर मद पर खर्चा** **राशि** **ख़र्चे की तिथि**

i.

ii.

योग :

प्रमाणित किया जाता है कि आयोग के पत्र सं. एफ़ .... दिनांक ..... द्वारा .....के निमित्त स्वीकृत रु. 10,000/– के आकस्मिकता अनुदान से ऊपर लिखे अनुसार रु. ..... (रुपए .....) का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आकस्मिकता अनुदान के उपयोग के लिए निर्धारित निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार। यदि जाँच या लेखापरीक्षा आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले तो आपत्ति की गई राशि वसूल/समायोजित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(अध्यापक अध्येता के हस्ताक्षर)

(अनुसंधान गाइड)

(विभागाध्यक्ष)

(रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल)

(अनुसंधान केंद्र)

(इस उपयोग प्रमाणपत्र की एक प्रति रिकार्ड के लिए उस कालेज को भेज दी जाए जहाँ अध्यापक अध्येता के रूप में कार्यारंभ करने से पहले वह अध्यापक काम कर रहा था)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों/कालेजों के दृष्टि बाधित अध्यापकों के निमित्त वित्तीय सहायता लेने के लिए निर्धारित फ़ॉर्मेट

1. कालेज/विश्वविद्यालय का नाम : .....
....

2. कालेज का पता : .....
....

3. विश्वविद्यालय का नाम जिससे वह संबद्ध है : .....
....

4. विश्वविद्यालय का पता : .....
....

: फोन नं. .....
....

: फ़ेक्स नं. .....
....

: ई–मेल .....
...

5. क्या यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत आता है : .....

6. क्या यूजीसी/राज्य सरकार से योजनेतर/योजना अनुदान ले रहा है (बताएँ) : .....

7. व्यक्ति का नाम : .....

8. अंधेपन का स्वरूप :
पूरी तरह अंधा :
कम दृष्टि : .....
(किसी सरकारी हस्पताल से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए)

9. विभाग का नाम : .....

10. विभाग में नियुक्ति की तिथि : .....

11. पाठक का नाम : .....

12. पाठक की शैक्षिक अर्हता : .....

13. पाठक को दिया गया मानदेय : .....
@ रु. प्रति माह : @ रु. प्र.मा. खर्च किया @ रु. 50 प्र. घं

14. दी गई कुल राशि : .....

(रसीदी टिकट के साथ पाठक की रसीद संलग्न करें) : .....

पाठक **संबंधित अध्यापक** **रजिस्ट्रार**

संलग्नक – XVII

विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों में कैरियर और परामर्श कोष्ठ के लिए विशेष कोष्ठ की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने का प्रोफ़ॉर्मा

खंड – 1 आधारभूत जानकारी

1. विश्वविद्यालय का नाम

2. क्या विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है? हाँ/नहीं

3. क्या विश्वविद्यालय प्रवेश और छात्रावास सुविधाएँ देने के लिए राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार और यूजीसी द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है? हाँ/नहीं

4. चालू शिक्षा वर्ष के दौरान डिग्री कक्षाओं में फ़ेकल्टी–वार भरती : .....

5. फ़ेकल्टी की संख्या :

प्रोफ़ेसर
रीडर
लेक्चरर
अन्य

योग :

6. वित्तीय अपेक्षाएँ (मद–वार)

7. प्रमाणित किया जाता है कि :

क) विश्वविद्यालय छात्रों को संदर्भ जानकारी देने के लिए समय–समय पर यूजीसी द्वारा जारी अनुदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
ख) कैरियर और परामर्श के लिए प्रस्तावित विशेष कोष्ठ यूजीसी द्वारा निर्धारित कार्य करेगा।
ग) स्कीम के अंतर्गत यूजीसी की वित्तीय सहायता बंद हो जाने के बाद विश्वविद्यालय/राज्य सरकार 'कैरियर और परामर्श के लिए विशेष काष्ठ' को अपने संसाधनों से स्थायी आधार पर चलाएगी।

दिनांक :

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)
विश्वविद्यालय की सील

संलग्नक – XVIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

किए गए खर्चे का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफ़ॉर्मा

1. विश्वविद्यालय का नाम : .....
....

2. यूजीसी के अनुमोदन की संख्या और तिथि : सं. एफ़ ..... दिनांक .....
....

3. खाते किस अवधि से संबंधित हैं : .....
....

4. किए गए वास्तविक खर्चे का ब्योरा (मद–वार):

हस्ताक्षर
सरकारी लेखापरीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट/
परीक्षक स्थानीय निधि लेखे

संलग्नक – XIX

उपयोग प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. .... दिनांक ..... के अंतर्गत कैरियर और परामर्श कोष्ठ की स्थापना के निमित्त .... को स्वीकृत रु. ..... (रुपए .....) के अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऊपर लिखे अनुसार दिए गए अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः निर्मित/प्राप्त स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों की सूचियाँ निर्धारित फ़ॉर्म में रखी जा रही हैं और अद्यतन की जाती हैं और इन परिसंपत्तियों को बेचा या भारित नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

यदि जाँच या लेखापरीक्षा की आपत्ति के फलस्वरूप बाद में किसी अनियमितता का पता चले तो आपत्ति की राशि को वापस या विनियमित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर : **हस्ताक्षर :**

रजिस्ट्रार **चार्टर्ड अकाउंटेंट/सरकारी लेखापरीक्षक/ परीक्षक स्थानीय निधि खाते**

(सील) **(सील)**